ELITE IAS

समसामयिकी

अगस्त – 2018

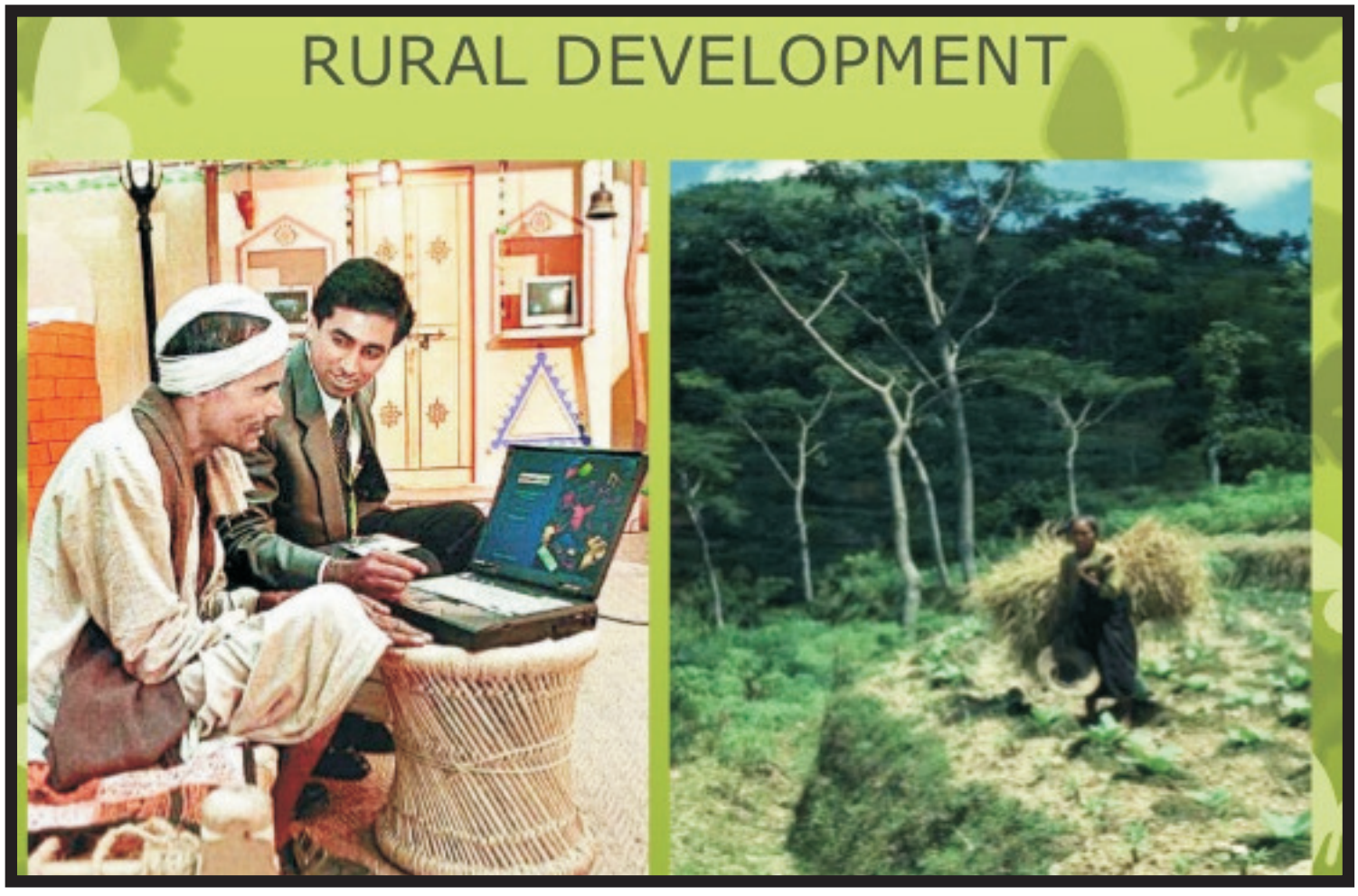

8899999931/34

A-1 Chandra House, Top Floor, (Opp. ICICI Bank), Mukherjee Nagar, Delhi-09

ELITE IAS

Our Courses

For Civil Services Preparation

CLASSROOM PROGRAM

Hindi / English

Upgraded Foundation Course
General Studies

ONLINE COURSES

General Studies Video Classes
(Interactive)

ALL INDIA TEST SERIES

English / Hindi

General Studies
Prelims + Mains + Essay

CORRESPONDENCE COURSES

General Studies Pre. & Mains
(Interactive)

Index

आलेख

1.	ग्रामीण विकास के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी	1-7

कला, संस्कृति, समाज एवं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

2.	ओडिशा सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट का गठन	8-8
3.	पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स:केरल लगातार तीसरे साल शीर्ष स्थान पर	8-9
4.	सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने का संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट	9-10
5.	भारतीय रेलवे ने श्री रामायण एक्सप्रेस चलाने की घोषणा कीया	10-10
6.	JEE, NEET परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का गठन	11-11
7.	सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर उच्चस्तरीय समिति गठित की	12-13
8.	पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक आयोजित	13-14
9.	गुजरात में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया	14-14
10.	राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताडना विरोधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की	15-15
11.	सरकार ने सीवर में मानव प्रवेश की जरूरत को समाप्त करने हेतु 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' का शुभारंभ किया	16-17
12.	भारत में वर्ष 2016 में 54,723 बच्चों का अपहरण हुआ: गृह मंत्रालय रिपोर्ट	17-17
13.	भारत में हिंदी प्रसार की वृद्धि दर 25.19%: जनगणना रिपोर्ट	18-19
14.	उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी की आधारभूत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी	19-20

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

15.	राज्यसभा सदस्य अब किसी भी भारतीय भाषा में बोल सकेंगे	21-21
16.	मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर: सुप्रीम कोर्ट	22-22
17.	भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप 'सीविजिल' लांच किया	23-24
18.	आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक लोकसभा में पारित	24-25

19.	पश्चिम बंगाल का नाम बदलने हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पारित	25-26
20.	संसद ने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया	26-27
21.	दृष्टिबाधित मतदाताओं हेतु ब्रेल लिपि में वोटर कार्ड जारी	27-28
22.	बिहार विधानसभा ने शराबबंदी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी	28-29
23.	मानव तस्करी रोकने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित	29-30
24.	असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम मसौदा जारी	30-31
25.	दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार मिलकर काम करें: सुप्रीम कोर्ट	31-31
26.	खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना हेतु खेल प्राधिकरण ने 734 युवाओं का चयन किया	32-32
27.	राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा दुग्ध योजना आरंभ की	32-33
	अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत एवं विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य	
28.	डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक आयोजित	34-34
29.	भारत विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना	35-35
30.	विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ)	35-35
31.	भारत और रवांडा के बीच आठ समझौते पर हस्ताक्षर	36-36
32.	प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु इन्वेस्ट इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए	37-37
33.	ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018	38-39
34.	भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु सहमति जताई	39-40
35.	अमेरिका भारत के विरुद्ध CAATSA प्रतिबंध नहीं लगाएगा	40-41
36.	तुर्की में दो साल बाद आपातकाल की समाप्ति	41-41
37.	भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर	42-42
38.	यूरोपियन संसद ने यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव रद्द किया	42-43
	भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास	
39.	आर्थिक आंकड़ों के संकलन संबंधी नियमों में बदलाव हेतु रविन्द्र ढोलकिया समिति गठित	44-44

40.	एनपीए की समस्या से निपटने हेतु 'सशक्त' योजना की घोषणा	45-45
41.	आंध्र प्रदेश ने 'कारोबार में सुगमता' के मामले में शीर्ष रैंकिंग हासिल की	46-46
42.	केंद्र सरकार ने आयात पर निर्भरता घटाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया	46-47
43.	भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: विश्व बैंक रिपोर्ट	47-48
44.	अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत का स्तर बढ़ाया	48-48
45.	दिल्ली सरकार ने सोलर योजना लॉन्च की	49-49
46.	बिहार में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ	50-50
47.	भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का 69वां शेयरधारक बना	51-52
48.	ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत 57वें स्थान पर	52-52
49.	चीन ने भारत से आयात होने वाली दवाइयों पर टैक्स घटाया	53-53

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्य

50.	पिच ब्लैक युद्धाभ्यास	54-54
51.	सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी प्रदान की	55-55
52.	केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी फेलोशिप एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम आरंभ किया	55-56
53.	स्मार्ट सिटी डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018	56-56
54.	ब्रह्मोस मिसाइल का खराब मौसम में भी सफल परीक्षण किया गया	56-57
55.	चीन ने अरुणाचल-तिब्बत बॉर्डर के नजदीक मानवरहित मौसम अवलोकन केंद्र स्थापित किया	57-57
56.	मध्यप्रदेश में 'आयुष्मान भारत' योजना लागू	58-58
57.	विश्व हेपेटाइटिस दिवस	59-59
58.	अटल नवाचार मिशन और माईगव ने 'इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लांच किया	60-61
59.	नासा सूर्य के अध्ययन हेतु पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च करेगा	61-62

60.	आईएनएस तरंगिनी 'टॉल शिप रेसेस-2018' में शामिल होने हेतु सुंदरलैंड पहुंचा	62-62
61.	सेटेलाइट आधारित मोबाइल ऐप (खान प्रहरी) लांच	63-63
62.	इसरो ने अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया	64-64
63.	डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी	65-65
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	
64.	अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2018	66-66
65.	वर्ष 2100 तक बढ़ते समुद्री जल-स्तर पर प्रति वर्ष 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च होंगे	67-67
66.	उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीव-जंतुओं को इंसान की तरह कानूनी दर्जा दिया	67-68
67.	वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में 14,800 लोगों की मौत: अध्ययन	68-69
68.	ग्रीन महानदी मिशन	69-70
69.	अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता प्रणाली 'सफर' का उद्घाटन किया गया	70-70
70.	म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ	71-71
	अन्य `बरें	
71.	सौरभ वर्मा ने रूस ओपन खिताब जीत कर इतिहास रचा	72-72
72.	न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त	72-73
73.	प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज का निधन	73-73
74.	फ्रांस ने 20 वर्ष बाद फुटबॉल विश्व कप जीता	73-73
75.	रूस ने कतर को अगले विश्व कप की जिम्मेदारी सौंपी	73-73
76.	बैंक ऑफ चाइना को भारत में शाखा खोलने हेतु आरबीआई से लाइसेंस मिला	73-73
77.	राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए चार सदस्यों को मनोनीत किया	74-74
78.	अरुणा साईराम संगीत कलानिधि पुरस्कार हेतु चयनित	74-74

78.	हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा	74-74
79.	दीपा करमाकर जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं	74-74
80.	विश्व जनसंख्या दिवस बनाया गया	75-75
81.	न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया	75-75
82.	राहुल द्रविड़ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पांचवें भारतीय बने	75-76

आलेख

ग्रामीण विकास के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और अनुप्रयोग कार्यक्रम का विकास करना है जिससे देश की विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी मददगार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों, खासतौर पर गांवों के समग्र और त्वरित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराती है। भारत उपग्रह दूरसंवदेन और संचार दोनों ही क्षेत्रों में आदि से अंत तक की क्षमता सृजित करने वाले दुनिया के अग्रणी देशों में से एक रहा है।

ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को महसूस करते हुए विकेंद्रित नियोजन में वेब जीआईएस के रूप में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया गया। इसे एसआईएस डीपी कार्यक्रम के माध्यम से भुवन पंचायत पर अमल में लाया गया। इसके बाद वॉटरशेड निगरानी, मनरेगा के अंतर्गत निर्मित संपत्तियों की जिओ टैगिंग करने और राष्ट्रीय-स्तर पर कृषि, भूमि संसाधन और ग्रामीण रोजगार से संबंधित तीन प्रमुख विभागों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत इन तीन महत्वपूर्ण पहलों का संयुक्त रूप से अपनाया है ताकि इनका क्रियान्वयन साझा तौर पर हो जिससे विकास कार्यक्रमों का फायदा अंतत: किसानों तक पहुंच सके।

वर्षाजल का संग्रह और इसका स्थानीय-स्तर पर संरक्षण देश के वर्षाजल पर आधारित कृषि वाले इलाकों में सिंचाई के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य विषय है। इसका उद्देश्य मिट्टी और पानी के संरक्षण से संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समन्वय करके ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य भारत के सिंचाई की समस्या वाले इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और इसका कारगर उपयोग सुनिश्चित करना हैं जिन चार कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का स्तंभ माना जाता है उनमें समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, वाटरशेड संरक्षण मिशन (मनरेगा), हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप (यानी पानी की हर बूंद से अधिक फसल) शामिल हैं।

ये कार्यक्रम जिस मूल सिद्धांत से जुड़े हैं, वह यह है कि बारानी खेती वाले इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था पहले होनी चाहिए।। इन चारों कार्यक्रमों की निगरानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' द्वारा स्मार्टफोन एप और समन्वित वैब जीआईएस आधारित टेक्नोलॉजी के जरिए की जा रही है। समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और जिओ मनरेगा की निगरानी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्व है क्योंकि इसके अंतर्गत बागवानी और वानिकी दोनों से संबंधित फसलों में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ-साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

इस तरह की महत्वाकांक्षी पहल को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के काफी अधिक क्षमता वाले अनुप्रयोगों का विकास किया जा रहा है। व्यापक विविधता वाले क्षेत्र फैले गांवों की निगरानी की जा रही है, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और भू-स्थानिक टेक्नोलॉजी उनकी सहायता की जा रही है ताकि मिट्टी और पानी के संरक्षण से उनका बेहतरीन विकास किया जा सके।

समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत परिसंपत्तियों के मानचित्रण, परती भूमि के विकास, विकेंद्रित नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता आदि कार्यक्रमों के तहत् राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र (एनआरएससी)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भू-स्थानिक उपाय विकसित किए हैं।

1. वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों के असर की निगरानी

वाटरशेड विकास कार्यक्रम देश के बारानी खेती वाले इलाकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण लोगों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने पर रोक लगाने के उद्देश्य से भूमि और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक प्रमुख पहल है। पिछले वर्षों में अंतरिक्ष अनुप्रयोग को इस तरह से अनुकूलित किया गया है जिससे कि भूमि और जल संसाधनों के समन्वित विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा उपचारित वाटरशेड में हुए सुधार का आकलन किया जा सके।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

जमीन के उपयोग, फसल, क्षेत्र, जलाशयों और पानी की निकासी, मिट्टी, क्षेत्र की विशेषताओं जैसे संसाधनों की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्रों का उपयोग करके सूक्ष्म वाटरशेड-स्तर पर जो विकास योजनाएं तैयार की गई हैं उनका प्रभाव जमीनी-स्तर पर विभिन्न रूप में दिखाई देने लगा है। इससे फसलों की सघनता और उपज में सुधार हुआ है, परती भूमि का क्षेत्र घटा है और सिंचित फसलों का क्षेत्र बढ़ा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम इस समय पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म वाटरशेड वाले प्रत्येक क्लस्टर में विभिन्न जैव-भौतिक उपायों को अपनाया जाता है। वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का महत्वपूर्ण घटक है जिसके अंतर्गत एक ओर तो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए खेत के स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है (हर खेत को पानी) वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म सिंचाई के उपाय (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) भी अपनाए जाते हैं।

समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि और जल-संसाधनों के परंपरागत उपयोग से सभी वाटरशेड परियोजनाओं में पारिस्थितिकीय स्थिरता लाना है। इस कार्यक्रम पर अमल से सूक्ष्म-स्तर पर अधिक जल संसाधनों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकता है और बह कर बर्बाद हो जाने वाले वर्षा जल का संचय कर भूजल कर स्तर बढ़ाया जा सकता है।

प्रारंभ में समूचे देश के दस राज्यों और 50 जिलों में समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों संबंधी परियोजनाओं की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में की गई। परियोजना के लागू होने के करीब 15 महीनों के बाद इनकी विश्वसनीयता और सफलता से प्रेरित होकर भूमि संसाधन विभाग ने सभी समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम परियोनाओं को निगरानी के लिए राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र को सौंप दिया। निगरानी के तहत् हर साल 8200 परियोजनाओं (जिनके अंतर्गत करीब 81000 सूक्ष्म वाटरशेड आ जाते हैं), की पांच साल के लिए सलाना देखरेख की जाती है। यह कार्य 2013-14 से यानी पहला समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम शुरू होने के करीब साढ़े तीन से चार साल बाद प्रारंभ हुआ। उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा के अभिनव तरीके से समन्वित हो जाने के बाद राज्यों से वैक्टर डाटाबेस और विभिन्न गतिविधियों को एकदम सही-सही जिओ टैग कर दिया गया। सरकार के सर्वोच्च-स्तर पर इस परियोजना की पहचान एक ऐसी अहम् दूरसंवेदी अनुप्रयोग परियोजना के रूप में की गई जो संचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। वाटरशेड संबंधी पहल से इलाके में बदलाव आने या जलवायु संबंधी कारणों से ऐसे बदलाव न आने का पता लगाने में उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा के उपयोग की चुनौती अपने आप में अनोखी थी। खासतौर पर अन्य परियोजनाओं की वजह से भूमि के आच्छादन और भूतलीय एवं भूमिगत जल वैज्ञानिक बदलावों को अध्ययन में समन्वित करने के परिणाम बड़े दूरगामी हो सकते हैं।

दूरसंवेदन टेक्नोलॉजी इस तरह की गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा (चित्रों) से जमीनी स्थिति के व्यापक परिप्रेक्ष्य का पता चलता है बशर्ते समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन उपग्रह दूरसंवेदन और नमूना क्षेत्रीय डाटा के आधार पर किया गया हो। क्षेत्रीय-स्तर पर आंकड़ों को एकत्र करने के लिए मोबाइल स्मार्टफोन एप (दृष्टि) का विकास किया गया है।

स्मार्टफोन की सहायता से क्षेत्रीय आंकड़ों को संग्रहित करने के कार्य को एक पूरक गतिविधि के रूप में समन्वित किया गया है। संग्रहित की गई क्षेत्रीय विशेषताओं को फोटोग्राफ के रूप में एकत्रित सूचनाओं के साथ उपग्रह डाटा के साथ समन्वित (जिओटैग) करके क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों को अच्छा परिप्रेक्ष्य दिया जा सकता है। अब तक कुल 8.71 लाख जिओटैग विभिन्न गतिविधियों के लिए संकलित किए जा चुके हैं (इनमें से 7.6 लाख को स्वीकृति भी मिल चुकी है)। प्रत्येक जिओटैग भुवन पोर्टल पर एक खास संरचना के अनुसार स्वत: सूचीबद्ध हो जाता है। जिससे परिसंपत्ति (यानी क्षेत्रीय कार्य) की पहचान की जा सकती है। इसका उपयोग भूमि संसाधन विभाग द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वाटरशेड विकास संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलबध करा रहा है ताकि खेती की उपज में बढ़ोतरी से किसानों को आमदनी बढ़े और चुने हुए सूक्ष्म वाटरशेड इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा बेहतर प्रबंधन से प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व बना रहे। देश में 108 वाटरशेड परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन वैब-आधारित प्रणाली के जरिए की जा रही है। जिनमें 28 गुजरात, 31 राजस्थान और 36 तेलंगाना में हैं। ऐसी परियोजनाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है और दूसरे चरण में निगरानी और मूल्यांकन के लिए 394 का काम हाथ में लिया जा रहा है जो 14 अन्य राज्यों में होंगी। नाबार्ड की आवश्यकताओं के अनुसार उपग्रह डाटा का उपयोग करते हुए एक भुवन पोर्टल (http:/bhuvan.nrsc.gove.in/projects/nabard/index.php) बनाया गया है और क्षेत्रीय आंकड़ों के संकलन के लिए भी नाबार्ड की जरूरतों को ध्यान में रखकर मोबाइल एप विकसित किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

2. समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का असर

जल-संरक्षण के प्रयासों का प्रभाव क्रियान्वयन अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से बाई-टैम्पोरल उपग्रह चित्रों में देखा जा सकता है। क्षेत्रीय दौरों के दौरान प्रेक्षणों और बातचीत से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी हुई। चूंकि समूची प्रक्रिया भू-स्थानिक डाटाबेस के रूप में उपलब्ध है जिसमें वाटरशेड प्रबंधन के नतीजों को भी शामिल किया गया है, इसलिए निरंतरता के संकेतकों को कालक्रम के अनुसार लिए गए उपग्रह चित्रों से परियोजना अवधि से बाहर के काल में भी देखा जा सकता है। चैक बांधों और खेतों में तालाबों के निर्माण तथा पेड़-पौधों और वनस्पतियों को $(fp = 2)$ देखकर किसी वाटरशेड में हुए परिवर्तनों को समझा जा सकता है। इससे विकास गतिविधियों उन तक नागरिकों की पहुंच को वेबयुक्त जीआईएस पार्टल की क्षमता का पता चलता है।

2. जिओ मनरेगा : ग्रामीण रोजगार सृजन गतिविधियों के सूचीकरण, निगरानी और नियोजन के लिए भू-स्थानिक अनुप्रयोग

जिओ मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा का अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी आधारित घटक है। इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली तमाम गतिविधियों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन करना है। राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र, 'इसरो' ने भुवन के बारे में वेबापोर्टल का विकास कर इसे स्मार्ट फोन एप और जीआईएस से समन्वित किया है। जिओ टैगिंग के अपने प्रारंभिक प्रयासों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल-संरक्षण आधारित गतिविधियों को पुनर्निर्धारित किया है और इसमें दूरसंवेदन, जीपीएस और जीआईएस टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर लिया गया है जिसकी नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र द्वारा विकसित जिओ मनरेगा भू-सूचना समन्वित वेब सेवा/पोर्टल है जिससे मनरेगा की नियोजन और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में सहायता मिलती है। ये गतिविधियां सहायता देने से लेकर आखिरी उपयोग करने वालों को सहायता पहुंचाने संबंधी हो सकती है। इसका विकास मनरेगा सॉफ्ट को इसरो के भुवन पोर्टल के साथ समन्वित करके किया गया है। मनरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध तमाम परिसंपत्तियों का डाटाबेस भुवन पर भी डाल दिया गया है जिसका उपयोग जिओ मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक डाटा का संपादन कर उसे गुणवत्ता संबंधी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस तरह भुवन निर्मित परिसंपत्तियों के बारे में एक समावेशी भौगोलिक सूचना संग्रह, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग का मंच उपलब्ध कराता है। इस सबके पीछे अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन वाला भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह है जो हमारे ग्रामीण विकास संबंधी नियोजन का आधार है। जिओ मनरेगा का सबसे प्रमुख अनुप्रयोग मूलतः परिसंपत्तियों की संचालनात्मक निगरानी में है।

मनरेगा की निगरानी भुवन जिओपोर्टल की जाती है। जिसमें स्मार्टफोन एप्लिकेशन से देशभर में पूरी की गई संपत्तियों की जिओटैगिंग भी शामिल रहती है। मनरेगा के अंतर्गत लक्षित 2.72 करोड़ परिसंपत्तियों के सृजन के लक्ष्य में से 1.57 की जिओटैगिंग ग्रामीण विकास मंत्रालय के लगातार सहयोग से की जा चुकी है। क्षेत्रीय-स्तर पर जिओटैगिंग के लिए भुवन पोर्टल में भू-स्थानिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसका फायदा सभी प्रतिभागियों को मिलता है।

इसे वैज्ञानिक आधार पर नई दिशा देने की आवश्यकता महसूस करते हुए, खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना के संदर्भ में, ग्रामीण विकास विभाग ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित ग्रामीण विकास विभाग ने प्राकृतिक संसाधनो के प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित ग्रामीण रोजगार के परिदृश्य में आमूल परिवर्तन किया है और इसे जल संरक्षण मिशन के तौर पर अपनाया है। इस नए दृष्टिकोण में चोटी से घाटी तक वाले सिद्धांत अपनाए जाएंगे और उनके आधार पर ही प्राकृतिक संसाधन मिशन (एनआरएम) श्रेणी के तहत् मनरेगा के कार्य के बारे में फैसला किया जाएगा। एनआरएम श्रेणी में मनरेगा कार्यों की 153 में से 111 गतिविधियां शामिल हैं। इस दृष्टिकोण के तहत् दूरसंवेदी चित्रों, गांवों की परिसंपत्तियों और विभिन्न विषयों जैसे चट्टानों, भू-आकृति विज्ञान, जल, भूमि, वन और आपदा की आशंका के बारे में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग किया जाएगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए भू-स्थानिक टेक्नोलॉजी

भारत सरकार के कृषि और सहकारिता तथा किसान कल्याण विभान ने अपनी विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया है। यह परियोजना 2007-08 में प्रारंभ हुई और इसके अंतर्गत 5768 परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें मोटे तौर पर कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि का यंत्रीकरण, विपणन और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, और विस्तार के अंतर्गत रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मानचित्रण के लिए भुवन पोर्टल का विकास किया गया है। देशभर में फैली परिसंपत्तियों के चित्र लेने के लिए एनआरएससी/इसरो द्वारा मोबाइल स्मार्ट फोन एप विकसित किया गया है। यह एप स्थान विशेष सापेक्ष है और इसमें भुवन मानचित्रण पर परिसंपत्तियों की स्थिति के निर्धारण, फोटो के साथ अक्षांश और देशांतर दर्ज करने, और सूचना देने वाले क्षेत्रीय अधिकारी/गणक के नाम के उल्लेख की व्यवस्था की गई है। अब तक कुल 62000 परिसंपत्तियों की जिओटैगिंग की जा चुकी है जिनमें से 12000 को सत्यापन के बाद स्वीकार भी कर लिया गया है।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

ग्रामीण सड़कों के बारे में पारंपरिक डाटा स्रोत जैसे-राजस्व मानचित्रण और एसओआई टोपो मैप आदि बड़ी उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कारगर निगरानी और मूल्यांकन के लिए इस तरह की सूचना को समय-समय पर अद्यतन करना पड़ता है। इस संदर्भ में उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा से ग्रामीण सड़कों के बारे में चित्र लेने की तारीख को विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा सकती है। 1999 में पहली बार ग्रामीण सड़कों के बारे में स्थानिक डाटाबेस तैयार करने की दिशा में प्रयास हुआ। उस समय तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में इचोडा मंडल के लिए परीक्षण के तौर पर इसकी कोशिश की गई जिसमें आईआरएस 1सी से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया। बाद में 2001 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध पर इस अध्ययन का दायरा बढ़ा कर राजस्थान के झालावाड़, बारां और धौलपुर जिलों को भी इसमें शमिल कर लिया गया। इसके बाद 2015 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान परीक्षण के तौर पर एक परियोजना पर अमल किया जिसमें पांच राज्यों के 10 जिलों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही तेलगांना के पूर्ववर्ती महबूबनगर जिले के चुने हुए तीन ब्लॉकों में राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र ने इसी तरह के अध्ययन किए। इससे जो भू-स्थानिक सूचना प्राप्त हुई उसे भुवन पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया।

ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-सूचना विज्ञान के उपयोग के उपर्युक्त प्रयासों के संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरआरडीए से तालमेल के साथ राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र और सीजीआरएडी से संपर्क किया जिसका उद्देश्य परियोजना मोड में संयुक्त रूप से गतिविधि संचालित करना था। इसलिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रमीण सड़क गतिविधियों की निगरानी के लिए एक परियोजना संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई है।

5. परती भूमि का विकास

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभान ने राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से दूरसंवेदन तकनीकों का इस्तेमाल करके देश में कुल परती भूमि, इसके फैलाव, इसकी प्रकृति और खराबी की स्थिति व परिमाण आदि की दृष्टि से स्थानिक सूचना तैयार करने का अनुरोध किया था ताकि इस तरह के जमीन के उपयोगी बनाने की विकास योजनाओं और नीतियों पर अमल किया जा सके। राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र ने ऐसी भूमि का मानचित्र और एटलस् 1986 में तैयार कर लिया था। और 2005-06 से उसकी निगरानी कर रहा है।

राष्टीय परती भूमि विकास बोर्ड के अनुसार परती भूमि ऐसी खराब जमीन है जिस पर युक्तिसंगत प्रयासों से पेड़-पौधे और वनस्पतियां उगाई जा सकती हैं, मगर जिसका अभी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसी तरह ऐसी जमीन भी परती भूमि है जो उपयुक्त जल और भूमि प्रबंधन की कमी या प्राकृतिक कारणों से खराब होती जा रही है। राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र ने वर्ष 1985 में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में परती भूमि के मानचित्रण 1 : 10,00,000 के पैमाने पर बनाए। देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

में परती भूमि के मानचित्रण के लिए आठ-स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली भी अपनाई गई। इस अध्ययन के आधार पर देश में कुल 5.33 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र परती भूमि के अंतर्गत पाया गया जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16.20 प्रतिशत है। इस प्रयास के तहत् जो मानचित्र तैयार हुए उनसे देश में कुल परती भूमि और उनके स्थानिक वितरण का अनुमान लगाया गया।

परती भूमि मानचित्रण का काम 1986 से 2000 के दौरान किया गया। इसमें तेरह-स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली अपनाई गई। परती भूमि के बारे में अंतिम समेकित एटलस मई 2000 में छपी। बाद में भूमि संसाधन विभाग के अनुरोध पर राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र ने 28 स्तरीय वर्गीकरण अपनाते हुए इस तरह की भूमि का मानचित्रण किया और पुरानी एटलस् को अद्यतन बना दिया। देश में परती भूमि का विस्तार 5.527 करोड़ हेक्टेयर होने का अनुमान है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.45 प्रतिशत है।

परती भूमि में स्थान और काल संबंधी बदलावों को समझने के लिए 2006 में परती भूमि की निगरानी की राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य परती भूमि की स्थिति का आकलन करना और इसमें बदलाव की निगरानी करना था। इसमें वर्ष 2005-06 के तीन मौसमों यानी खरीफ, रबी और जायद के उपग्रह आंकड़ों का उपयोग परती भूमि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया। इससे जीन मौसमों के उपग्रह आंकड़ों के आधार पर परती भूमि की विभिन्न श्रेणियों के सीमांकन में सुधार लाने में मदद मिली। देश में 4.722 करोड़ (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (टीजीए) का 14.91 प्रतिशत) हेक्टेयर इलाका परतीभूमि के रूप में दर्ज किया गया। 2010 में भूमि सुधार विभाग ने 2008-09 के उपग्रह आंकड़ों के आधार पर परती भूमि के मानचित्रण और 2005-06 की तुलना में आए बदलावों को दर्ज करने का फिर अनुरोध किया। इस आधार पर परती भूमि की श्रेणियों में संशोधन किया गया और इलाकों की पहचान की गई। इन परिवर्तनों की बाद में सीमित जमीनी जांच से पुष्टि की गई।

राष्ट्रीय परती भूमि परिवर्तन विश्लेषण परती भूमि के मानचित्रण की समूची परियोजना में अनोखा है क्योंकि इसकी सहायता से 2005-06 और 2008-09 के बीच देश में परती भूमि की वस्तुनिष्ठ तुलना की जा सकती है। 2.670 करोड़ हेक्टेयर इलाके (14. 76 प्रतिशत) को परती भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। 112057 स्थानों में परती भूमि के क्षेत्रफल में 32 लाख की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही 42886 स्थानों में परती भूमि का रकबा दो लाख हेक्टेयर बढ़ा है। इस तरह अगर पूरे देश के बारे में विचार करें तो वर्ष 2005-06 की तुलना में 2008-09 में परती भूमि में क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 5 लाख हेक्टेयर की कमी आई है।

हाल में राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र/आईएसआरओ हैदराबाद में समूचे देश में परती भूमि के मानचित्रण का कार्य प्रारंभ किया गया। वर्ष 2015-16 में किए गए इस मानचित्रण में आर्थो रेक्टिफाइड उपग्रह डाटा का उपयोग तीन फसलों (रबी, खरीफ और जायद) के लिए किया गया। मानचित्रण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।

परती भूमि संबंधी डाटाबेस राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र के भुवन पोर्टल और भू-संसाधन विभाग (डीओलआर) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. विकेंद्रित नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता (एसआईएस-डीपी)

सबसे निचले स्तर पर विकासमूलक नियोजन के लिए भूमि और जल संसाधनों तथा उनके अनुकूलतम प्रबंधन के बारे में विश्वसनीय सूचना होना बहुत जरूरी है। इस तरह की अंतरिक्ष आधारित सूचना का उपयोग विकेंद्रित नियोजन के लिए किया जा रहा है जिसके अंतर्गत स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतों) को विकास की योजनाएं बनाने को कहा जा रहा है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में स्थान विशेष का संदर्भ देने वाले चित्र और राज्य-स्तर के आंकड़े सम्मिलित रहते हैं जो 1 : 10000 के पैमाने पर होते हैं। इसके अलावा लाभार्थियों संबंधी विभिन्न आंकड़े भी उपलब्ध रहते हैं। चित्रों, संसाधनों के मानचित्रण, गतिविधि नियोजन और पंचायत-स्तर पर योजनाओं की निगरानी के लिए ''भुवन पंचायत'' नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। इसके तहत् देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों में परिसंपत्तियों का मानचित्रण करने की योजना बनाई गई है। भुवन पंचायत पोर्टल की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा ताकि विकास संबंधी नियोजन के लिए किसी स्थान विशेष से संबंधित कार्ययोजना तैयार की जा सके।

भुवन पोर्टल में देश में नियोजित विकास की शुरुआत के समय से योजना प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए व्यवस्था की गई है। जिससे उपलब्ध अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

ग्रामीण विकास से संबंधित विषय-आधारित प्रमुख डाटाबेस भूमि के उपयोग और उस उगाई जाने वाली फसलों के बारे में है जो 1 : 10000 के पैमाने पर बनाया गया है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' के अग्रणी कार्यक्रम विकेंद्रित नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता (एसआईएस-डीपी) के तहत् बनाया गया है। इसमें पानी की निकासी और सड़कों से संबंधित चित्र भी अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ उपलब्ध डिजिटल एलीवेशन मॉडल नियोजन के लिए भौतिक निर्धारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे किसी इलाके के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और यह पता लगाया जा सकता है कि इलाका पहाड़ की चोटी या घाटी और उसी के अनुसार उपयुक्त योजना बनाई जा सकती है। भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन से संबंधित डाटाबेस में 27 श्रेणियां हैं जिसके आधार पर इलाके की विशेषताओं का पता लगाकर सूक्ष्म-स्तर की योजना बनाई जा सकती है।

7. कृषि और जल संसाधन क्षेत्रों में अंतरिक्ष अनुप्रयोग

- राष्ट्रीय दूरसंवदेन केंद्र ने कृषि और जल संसाधनों के क्षेत्र में निम्नलिखित भू-स्थानिक समाधान विकसित किए हैं। इनसे खाद्यान्न उत्पादन, किसानों की आमदनी और स्थान विशेष में सिंचाई और जलजीव पालन के लिए जल की उपलब्धता का पता लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है।

  इन भू-स्थानिक समाधानों की ग्रामीण भारत का सतत विकास सुनिश्चित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है।

- फसल बीमा निर्णय सहायता प्रणाली (सीआईडीएसएस) - यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अमल के लिए वैब-समर्थित समन्वित पैकेज है।
- सघन फसल उत्पादन - पूर्वी भारत में हरितक्रांति लाने के लिए खरीफ की फसल के बाद धान के खाली पेड़ खेतों का उपग्रह आधारित मानचित्रण। (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)
- उच्च लागत वाली फसलों का मानचित्रण और मूल्यांकन।
- सूखे के प्रति कृषि की संवदेनशीलता।
- बागवानी फसलों का मानचित्रण।
- रेशेदार फसलों की सूचना प्रणाली।
- जलाशय सूचना प्रणाली।

8. भू-स्थानिक समाधानों के लाभ

- समन्वित विकास गतिविधियों की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन से अभिशासन में और अधिक सुगमता।
- भू-स्थानिक समाधान क्षेत्र में जाकर मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के मुकाबले कहीं अधिक पारदर्शी और कुशल होते हैं।
- इसमें प्रबंधन सूचना प्रणाली को भू-स्थानिक दृश्यता से जोड़ दिया जाता है।
- इसमें स्थानीय-स्तर पर विस्तृत नियोजन और विकास होता है क्योंकि इसमें विभिन्न परियोजनाओं से आंकड़ों को समन्वित कर स्थान विशेष पर प्रभाव का विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त होता है।
- इससे किसी स्थान विशेष में परिसंपत्तियों के सृजन की आवश्यकता का पता लगाने में मदद लगाने में मदद मिलती है जिससे यह जाना जा सकता है अगर मानवीय या प्राकृतिक कारणों से परिसंपत्तियों को कोई नुकसान पहुंचा हो।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

9. भुवन जिओ पोर्टल

भुवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' के भारतीय प्लेटफार्म में उपग्रह डाटा के प्रदर्शन, मुफ्त डाटा डाउनलोड, विषय-केंद्रित मानचित्रों के प्रदर्शन, डाउनलोड और विश्लेषण, आपदाओं की समय रहते सूचना देने और किसी खास परियोजना के लिए जीआईएस अनुप्रयोग अगस्त 2009 से उपलब्ध करा रहा है। भुवन पोर्टल उपलब्ध विषय-आधारित सेवा में सलेक्ट करने, ब्राउज करने और थीमेटिक डाटाबेस से प्रश्न पूछने जैसी सुविधा उपलब्ध कराता है। इसका एलयूएलसी मानचित्र 1 : 10,00 के पैमाने पर कई अन्य विषयों के बारे में भी सूचनाएं प्रदान करता है। इसमें राज्यवार और जिलावार सूचनाएं आंकड़े प्रापत करने की सुविधा है और यह अभिरूचि के क्षेत्र पर आधारित विश्लेषण भी करता है। इसमें डब्ल्यूएमएस/डब्ल्यूएमटीएस सेवाओं के लिए यूआरएल, प्रदर्शित चित्र का प्रिंट लेने की भी सुविधा है। इन सब सुविधाओं की वजह से यह वैज्ञानिक और अनुसंधान करने वालों और सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए भू-सूचना वैज्ञानिक सूचनाओं का खजाना हे।

इस समय भुवन में 12 प्राकृतिक संसाधनों, सामान्य दिलचस्पी के एक करोड़ आंकड़ों, 53 भू-भौतिक उत्पादों के विभिन्न रिजोल्यूशन वाले उपग्रह चित्र उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसमें 6200 से अधिक ओजीसी सेवाएं उपलब्ध हैं और भुवन 2डी/3डी, एनआरएससी ओपन डाटा आर्काइव, थीमेटिक सेवा, आपदा सेवा, क्राउड सोर्सिंग अनुप्रयोग और ऑनलाइन मानचित्रण अनुप्रयोग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह भू-स्थानिक डाटा और सेवाओं का सृजन करने, उनकी परिकल्पना करने, साझा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए मंच प्रदान करता है। भुवन के उपयोग के लिए राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एनजीओ के सहयोग से 75 अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं जिनका प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन जैसी अभिशामन संबंधी गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है।

भुवन के शुरू होने से ही इसकी सेवाओं का बड़ी तेजी से विकास हुआ है और सरकार, शैक्षिक समुदाय, निजी क्षेत्र आदि के लोग बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कर रहे हैं। आज इसके 70,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं जो देश-विदेश में फैले हुए हैं। हाल के वर्षों में राज्य सरकारों और मंत्रालयों के साथ भी अच्छा सहयोग हुआ है। इस तरह भुवन के जो अनुप्रयोग सामने आए हैं उनसे नियोजन और विकास, सरकारी परिसंपत्तियों की अनुसूची, कार्यक्रम निगरानी और मूल्यांकन जैसे अभिशासन संबंधी कई पहलू जुड़े हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिशासन, विशेष रूप से रोजगार क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों को हाल में की गई पहलों से स्वागत योग्य बढ़ावा मिला है। इस तरह की पहलों में सभी सृजित परिसंपत्तियों की जिओ-टैगिंग करना, अभूतपूर्व-स्तर की पारदर्शित लाना और कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों दोनों का सत्यापन करना शामिल हैं। दूरसंवेदन की क्षमता में सुधार और स्थान व काल-आधारित समाधानों की व्यवस्था करने से सूक्ष्म-स्तर के सराकारों का पूरी तरह और संतोषजनक तरीके से समाधान करने में बड़ी मदद मिल सकती है। वैब से जुड़े जीआईएस उपकरण सूचनाओं को देश के कोने-कोने तक पहुंचा सकते हैं और टेक्नोलॉजी के द्वारा आम आदमी के उपयोग के लिए खोल सकते हैं। किफायती मोबाइल टेलीफोन में अगर संचालन योग्य स्थिति निर्धारण युक्तियां और फोटोग्राफी उपकरण भी लगे हों और ये इंटरनेट से जुड़े हों तो गांव के हर व्यक्ति को डिजिटल संपर्क प्रदान कर विकास का नया आयाम खोला जा सकता है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास से संबंधित विभागों के अनुरोध पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वेब आधारित विस्तृत भू-स्थानिक सूचना प्रणाली प्रारंभ किया जाना अत्यंत सामयिक कदम है। भू-स्थानिक समाधानों से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी तथा आम आदमी के बीच की दूरी को कम से कम करके डिजिटल इंडिया के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कला, संस्कृति, समाज , तथा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

ओडिशा सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट का गठन

चर्चा में क्यों?

- ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के ऐतिहासिक अवशेषों और स्मारकों के संरक्षण के लिए तथा समृद्ध संस्कृति और भाषा के प्रसार के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया।

मुख्य तथ्य

- संसदीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कैबिनेट में आठ सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करेंगे।
- इसका उद्देश्य राज्य में प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करना तथा राज्य की संस्कृति, भाषा और साहित्य के संरक्षण के लिए कदम उठाना होगा।

हेरिटेज कैबिनेट के कार्य

- अधिसूचना के अनुसार, हेरिटेज कैबिनेट ओड़िया भाषा, संस्कृति और साहित्य को संरक्षित और फैलाने का कार्य करने वाले संस्थानों और विभागों के बीच समन्वय बनाए रखेगा।
- ओडिशा आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1954 में जल्द संशोधन किये जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड के प्रावधान शामिल किये जाएंगे।
- यह कैबिनेट नीतियां भी बनाएगा और अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करेगा और स्वीकृति देगा।

नेशनल कल्चरल फंड: महत्व

- संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए 'नेशनल कल्चरल फंड' की स्थापना की गई है। इस फंड का उद्देश्य औद्योगिक घरानों को ऐतिहासिक इमारतों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस श्रेणी में वे स्मारक आयेंगे जो भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें यह छूट दी गई है कि वे ऐतिहासिक इमारतों के इर्द-गिर्द संभव व्यापारिक गतिविधियाँ भी चला सकते हैं।
- इस कदम से देश में ऐतिहासिक इमारतों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

स्रोत: द हिंदू

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स:केरल लगातार तीसरे साल शीर्ष स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) द्वारा 22 जुलाई 2018 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) 2018 के अनुसार केरल देश में सबसे बेहतर प्रशासित राज्य है।
- देश में बेहतर तरीके से शासन करने को लेकर एक सूचकांक जारी हुआ है। केरल वर्ष 2016 से ही बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य रहा है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य:

- इस सूची में केरल के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर कर्नाटक और पांचवें स्थान पर गुजरात हैं।
- पीएआई में मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार निचले स्तर पर हैं, जो इन राज्यों में अधिक सामाजिक और आर्थिक असमानता का सूचक है।
- पीएसी के चेयरमैन के. कस्तूरीरंगन के अनुसार युवाओं की बढ़ती आबादी वाले देश के रूप में भारत को अपनी विकास परक चुनौतियों का आकलन करने और उनका समाधान करने की जरूरत है।
- देश में बच्चों पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय है. पीएआई के मुताबिक बच्चों के लिए बेहतर जीवनयापन परिस्थितियों में केरल, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं।
- वहीं छोटे राज्य (2 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य) में हिमाचल प्रदेश बेहतर गवर्नेंस के मामले में सबसे बेहतर राज्य साबित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर गोवा, तीसरे पर मिजोरम, चौथे पर सिक्किम और पांचवें पर त्रिपुरा का नाम है। वहीं रिपोर्ट में छोटे राज्यों के मामले में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय निचले स्थान पर रहे हैं।

क्या है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स?

- पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की नींव वर्ष 1994 में रखी गई थी, जिसका काम भारत में शासन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- यह सूचकांक वर्ष 2016 से राज्यों की शासन व्यवस्था पर सालाना आधार पर जारी हो रहा है। इस रिपोर्ट में राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के आंकड़ों के आधार पर शासन-व्यवस्था के प्रदर्शन की रैंकिंग की जाती है।
- सूचकांक को राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव विकास में मददगार परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिलाओं-बच्चों की स्थिति के आकलन के आधार पर तैयार किया गया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

✪ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने का संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

- ❑ सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने और प्रार्थना करने के मामले की सुनवाई करते हुए 18 जुलाई 2018 को यह टिप्पणी दी कि सबरीमाला मंदिर कोई निजी संपत्ति नहीं है, यह एक सावर्जनिक संपत्ति है।
- ❑ इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि यदि पुरुष सबरीमाला मंदिर में अंदर जा सकते हैं तो महिलाएं भी वहां जा सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जो जगह सार्वजनिक है वहां वो किसी शख्स को जाने से नहीं रोक सकते हैं। संविधान में पुरुषों और महिलाओं में बराबरी की बात लिखी गई है।
- संवैधानिक पीठ ने कहा कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार किसी कानून पर निर्भर नहीं है। यह संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में निहित है।
- इसका यह अर्थ है कि एक महिला के नाते आपका प्रार्थना करने का अधिकार किसी विधान के अधीन नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है।
- इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी शामिल हैं।
- जस्टिस नरीमन ने कहा कि यह पाबंदी मनमानी है जो 10 वर्ष तक की बच्ची और 53 वर्ष से ऊपर की महिला को प्रवेश से नहीं रोक सकती।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि

- इस मामले में 7 नवंबर 2016 को केरल सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि वह ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में है।
- शुरुआत में राज्य की एलडीएफ सरकार ने 2007 में प्रगतिशील रुख अपनाते हुए मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की हिमायत की थी, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने बदल दिया था।
- यूडीएफ सरकार का कहना था कि वह 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करने के पक्ष में है क्योंकि यह परपंरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय रेलवे ने श्री रामायण एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने 10 जुलाई 2018 को श्री रामायण एक्सप्रेस के नाम से विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे अनूठी ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस का परिचालन 14 नवंबर 2018 से शुरू करेगी।

मुख्य तथ्यः

- आइआरसीटीसी 800 सीटों वाली यह ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी. ट्रेन अपनी यात्रा तमिलनाडु के रामेश्वरम में 16 दिनों में पूरी करेगी।
- यह ट्रेन भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा 16 दिनों में कराएगी।
- इस टूर पैकेज में भोजन, आवास, साइट सीइंग शामिल होगा।
- आईआरसीटीसी का एक टूर मैनेजर सभी प्रबंध करेगा और वह पर्यटकों के साथ ही यात्रा करेगा।

श्री रामायण यात्राः

- श्री रामायण यात्रा-श्रीलंका दो भागों में होगी. एक भाग भारत में और दूसरा भाग श्रीलंका में।
- दिल्ली के बाद ट्रेन अयोध्या, हनुमान गढ़ी रामकोट और कनक भवन मंदिर जाएगी. इसके साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रीरंगवीरपुर, नासिक, हंपी और रामेश्वरम की यात्रा कराएगी.
- श्रीलंका यात्रा में कैंडी, नुवारा एलिया, कोलंबो और नेगोम्बो की यात्रा के लिए है।

उद्देश्यः

- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे कैटेरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरने वाली विशेष पर्यटन ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस चलाने जा रही है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

JEE, NEET परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का गठन

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने उच्चतर शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक स्वशासी परीक्षा संगठन राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का गठन किया है।
- पहले प्रवेश परीक्षाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) द्वारा आयोजित की जाती थी।

उद्देश्य

- इस एजेंसी के गठन का उद्देश्य प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए विशेषज्ञता संपन्न और समर्पित संस्था बनाने के साथ-साथ सीबीएसई को दायित्व से मुक्त करना है ताकि सीबीएसई अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर सके।
- सरकार ने विशेषज्ञों को शामिल करते हुए वैज्ञानिक तरीके से परीक्षा आयोजित करने का दायित्व एनटीए को दिया है। एनटीए द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं विद्यार्थियों के लाभ के लिए वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का कार्य

- हितधारकों, मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के अनुरोध पर यूजीसी-नेट, जेईई (मेन), नीट-यूजी, सी-मैट तथा सी-पैट परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व एनटीए को दिया गया है।
- एनटीए ने अपनी वेबसाइट https%//ntaexams.co.in. पर वर्ष 2019 के लिए परीक्षा कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है।
- एनटीए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगी, ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर मिल सके और मूल्यांकन में मानवीय भूल की संभावना खत्म हो सके।

प्रभाव

- राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की स्थापना से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले रहे लगभग 40 लाख छात्रों को लाभ होगा. इसकी स्थापना के बाद सीबीएसई, एआईसीटीई जैसी एजेंसियाँ प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित कराने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगी।
- इसके अतिरिक्त यह एजेंसी छात्रों की योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा समस्या निवारण क्षमता के कठिन स्तरों का आकलन करने के लिये उच्च विश्वसनीयता एवं प्रमाणीकरण लाने की दिशा में भी प्रयास करेगी।

पृष्ठभूमि

- एक विशेषीकृत निकाय की आवश्यकता को समझते हुए वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सभी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु एक स्वायत्त तथा आत्मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की स्थापना की घोषणा की गई थी।

स्रोत: पीआईबी, द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर उच्चस्तरीय समिति गठित की

चर्चा में क्यों?

❑ केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2018 को मॉब लिंचिंग को लेकर उच्चस्तरीय समिति गठित की. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने मॉब लिंचिंग के मामलों को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

मुख्य तथ्य:

➢ केंद्र ने मॉब लिंचिंग पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह के गठन का भी फैसला किया है, जो उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार करेगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी सिफारिश करेगी.

➢ सुप्रीम कोर्ट से मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा पर संसद के जरिए कड़ा कानून बनाने के आदेश के बाद एक्शन में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने गृह सचिव राजीव गाबा की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय कमिटी बना दी है.

➢ मंत्रीसमूह में राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा जल संसाधन मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री भी शामिल होंगे.

'भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching)' की निरन्तर बढ़ती घटनाएँ देश की सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँचा रही हैं।

➢ 'विश्व-बंधुत्व' और 'अहिंसा परमोधर्मः' की शिक्षा देने वाले भारत में हाल ही में हुई कुछ घटनाएँ परेशान करती हैं। पिछले कुछ समय से भीड़ द्वारा लोगों को पकड़कर मार डालने की घटनाएँ हुई हैं। इन घटनाओं में कोई गौमांस खाने का तथाकथित आरोपी था, कोई दुष्कर्म का आरोपी था, कोई गायों को वधशाला के लिये ले जाने का तथाकथित दोषी तो कोई चोरी करने का दोषी था।

भीड़ द्वारा हत्या अनुचित व आपराधिक कृत्य है, क्योंकि-

➢ भीड़ कभी भी आरोपी को अपना पक्ष बताने का अवसर नहीं देती।

➢ भीड़ में सभी लोग अतार्किक तरीके से हिंसा करते हैं।

➢ ऐसे कृत्य से कानून, विधि की उचित प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है।

संवैधानिक प्रावधान

➢ संविधान में जीवन के अधिकार को 'मूल अधिकारों' को श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 कहता है- 'किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।'

➢ भीड़ द्वारा हमला और हत्या को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार पर 'वीभत्स' हमले के रूप में देखा जा सकता है।

➢ भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है।

➢ साथ ही, यहाँ की संस्कृति भी मिल-जुलकर रहने तथा 'वसुधैव-कुटुम्बकम' के मूल्य को महत्त्व देती है।एक सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में 'विधि का शासन' निहित है।

➢ यहाँ प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का उल्लंघन न करे और किसी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि न करें।

➢ यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ है (चोरी, गौ-तस्करी) तो उसे सजा देने का हक कानून को है, न कि जनता उसकी सजा तय करेगी। गांधी जी ने भी कहा है कि 'साध्य' की पवित्रता के साथ-साथ 'साधन' की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अपराधी को स्वयं सजा देना कानूनी तौर पर तो गलत है ही नैतिक तौर पर भी अनुचित है। ऐसी घटनाएँ देश की एकता व अखण्डता को नुकसान पहुँचाती है तथा विखण्डनकारी शक्तियों को देश में अशांति फैलाने के लिये आधार उपलब्ध कराती हैं। अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि:

- सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को मॉब लिंचिंग की वारदातों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया था जबकि एक गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्य सरकारों को 4 हफ्ते में इस पर अमल करने का आदेश दिया था.

  गृह मंत्रालय ने इससे पहले राजस्थान के अलवर में लिंचिंग की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्थान सरकार से रिपोर्ट भेजने को कहा है. 20 जुलाई 2018 को संदिग्ध गौरक्षकों ने एक 28 साल के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

स्रोतः द हिंदू , लाइव मिन्ट

❑ पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की. बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने की थी।

मुख्य तथ्य:

- बैठक में पोषण अभियान के अंतर्गत चालू वर्ष 2018-19 में 32 नये जिलों को शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
- इससे केन्द्र शासित प्रदेशों के उन सभी जिलों में ठहराव आयेगा जो चरण-। और चरण-।। के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले हैं।
- इसके साथ ही उन राज्यों को पोषण अभियान के तहत शामिल किया जाएगा जिनमें पांच जिले छोड़ दिये गये हैं।
- इससे 8 नये राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में ठहराव आयेगा. अब 23 राज्य /केन्द्र शासित प्रदेशों में ठहराव आयेगा।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान की सहायता से पोषण के लिए ऑन लाइन पाठयक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है।
- बैठक के दौरान तीन मॉडयूल प्रस्तुत किये गये. इन पाठयक्रमों का आयोजन स्वतंत्र रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय (पोषण अभियान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान पोर्टल द्वारा किया जाएगा।
- पोषण अभियान के हिस्से के रूप में जन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक कॉलर टयून और रिंगटोन विकसित किया है ताकि अभियान के लक्ष्य सही पोषण देश रोशन को लोकप्रिय बनाया जा सके।
- पोषण अभियान के कॉलर टयून और रिंगटोन भी जारी किये गये।
- बैठक में शहरी आंगनवाडी सेवाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों/ मलिन बस्तियों में आंगनवाडी केन्द्र बनाने के लिए दिशा निर्देशों को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई।

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन):

- भारत सरकार ने पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) की शुरूआत की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनु इस अभियान का शुभारंभ किया।
- टेक्नॉलोजी के माध्यम से कार्यक्रम में लक्षित दृष्टिकोण और मेल-जोल का प्रयास किया गया है ताकि स्टंटिंग के स्तर को घटाने, कुपोषण, अनेमिया तथा जन्म के समय बच्चों के कम वजन की समस्या सुलझाई जा सके और किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर फोकस करके कुपोषण की समस्या का समग्र रूप से समाधान निकाला जा सके।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- पोषण अभियान का उद्देश्य सेवा सुनिश्चित करना तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्रवाई करना, सम्मेलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा अगले कुछ वर्षों में निगरानी के विभिन्न मानकों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य हासिल करना है।
- समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सभी 36 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों तथा 718 जिलों को चरणबद्ध तरीके से 2020 तक कवर किया जाएगा। इससे पहले देश में उच्च सर्वोच्च स्तर पर कभी भी पोषण को इस तरह की प्रमुखता नहीं दी गई।

स्रोतः पीआईबी

गुजरात में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया

चर्चा में क्यों?

- गुजरात सरकार द्वारा राज्य में यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया. राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया।

मुख्य तथ्य

- सरकारी आदेश में कहा गया है कि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गुजरात सरकार ने प्रदेश में रहने वाले यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान करने का फैसला किया है।
- इस फैसले के बाद यहूदी समुदाय के लोगों को राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तैयार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

पृष्ठभूमि

- यहूदी समुदाय के लोग लंबे समय से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करना चाहते थे. समुदाय ने अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा था।
- गुजरात में यहूदियों की संख्या काफी कम है. उनकी संख्या लगभग दो सौ है और वे अधिकतर अहमदाबाद में रहते हैं।
- गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने अपनी छह दिवसीय इजराइल यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर उन्हें गुजरात में यहूदियों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया था।

यहूदी धर्म

- यहूदी धर्म इस्राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है और इसका पवित्र ग्रंथ तनख बाईबल का प्राचीन भाग माना जाता है. धार्मिक पैगम्बरी मान्यता मानने वाले धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म का आधार इसी परम्परा और विचारधारा को माना जाता है।
- इस धर्म में एकेश्वरवाद और ईश्वर के दूत यानि पैगम्बर की मान्यता प्रधान है. अपने लिखित इतिहास की वजह से ये कम से कम 3000 वर्ष पुराना माना जाता है।
- भारत में यहूदी धर्म आज से 2987 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईसा पूर्व में यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर को मूसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलोमन, जिसे सुलेमान भी कहते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताडना विरोधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध , रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है।
- इस विधेयक को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र के तहत तैयार किया गया है जिसमें डायन प्रताड़ना को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

विधेयक की विशेषताएं

- राष्ट्रपति सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की।
- इस कानून के तहत कोई भी अपराध गैर जमानती, संज्ञेय अपराध बन गया है।
- समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में सात साल तक कैद की सजा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का का प्रावधान है।
- इस विधेयक का उद्देश्य समाज में व्याप्त इस अंधविश्वास की समाप्ति करना है क्योंकि इस प्रथा द्वारा सैंकड़ों बेकसूर महिलाओं और पुरुषों की हत्या की जा चुकी है।
- इस नये कानून के लागू होने पर कोई भी किसी को डायन अथवा प्रेत जैसे शब्दों, व्यव्हार एवं इशारों से संबोधित नहीं कर पायेगा. ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में शामिल माना जायेगा।
- यदि किसी व्यक्ति को डायन बताकर मार दिया जाता है तो अपराधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के जुर्म में सजा) के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी।
- यदि किसी व्यक्ति को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के लिए दोषी करार दिया जाता है तो अपराधी को तीन वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

मामला क्या है?

- असम में लोगों खासकर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर देना बहुत पुरानी समस्या है. 2001-2017 के दौरान 114 महिलाओं और 79 पुरुषों को डायन / ओझा करार देकर उनकी हत्या कर दी गई. इस दौरान पुलिस ने 202 मामले दर्ज किए. इस समस्या से निबटने के लिए असम विधानसभा ने 13 अगस्त , 2015 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया था।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

❑ सरकार ने सीवर में मानव प्रवेश की जरूरत को समाप्त करने हेतु 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

❑ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' का शुभारंभ किया है।

मुख्य तथ्य

➢ यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप है जिन्होंने 4 मई 2018 को अपनी अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए उनमें मानव प्रवेश की जरूरत को समाप्त करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' की शुरुआत किए जाने की इच्छा जताई थी।

➢ यह चौलेंज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का एक हिस्सा होगा, जिसका आयोजन 2 अक्टूबर 2018 को होगा. यह चैलेंज 14 अगस्त 2018 तक शाम 17:30 बजे तक मान्य रहेगा।

➢ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए उनमें मानव प्रवेश की जरूरत को समाप्त करने में मददगार अभिनव प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक अन्वेषकों, व्यक्तियों, कंसोर्टियम के साझेदारों, कंपनियों, अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), सरकारी एवं नगरपालिका निकायों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

उद्देश्य:

➢ इस टेक्नोलॉजी चैलेंज का मुख्य उद्देश्य सेप्टिक टैंक/मैनहोल इत्यादि में मानव प्रवेश की जरूरत को समाप्त करना है।

➢ अभिनव तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पहचान करना.

➢ ऐसे व्यावसायिक मॉडल का अनुमोदन करना जो विभिन्न आकार, भौगोलिक स्थितियों एवं श्रेणियों वाले शहरों के लिए उपयुक्त हों।

➢ परियोजनाओं से जुड़े चुनिंदा शहरों में चयनित प्रौद्योगिकियों/समाधानों का प्रायोगिक परीक्षण करना एवं उनके लिए आवश्यक मार्गदर्शन करना।

➢ अन्वेषकों/निर्माताओं और लाभार्थियों- यथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), नागरिकों के बीच की खाई को समाप्त करना।

आकलन:

❑ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के विशेषज्ञ, आईआईटी/आईआईएम की फैकल्टी और अग्रणी सिविल सोसायटी समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इन प्रस्तावों का आकलन करने वाले ज्यूरी सदस्य मौटे तौर पर पैमाने को अपनाएंगे:

➢ प्रौद्योगिकी की परिचालन प्रभावशीलता

➢ उपलब्धता में आसानी/व्यापक स्तर

➢ अनुकूलन/बहुपयोगी

➢ मशीनरी का परिचालन काल/टिकाऊपन

➢ मेड इन इंडिया

➢ पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- उपयोग में आसानी (स्वचालन)
- इसके अलावा, यह चौलेंज दो पृथक श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा।
- श्रेणी ए: सीवरेज प्रणालियों की सफाई एवं रख-रखाव के लिए ऐसे तकनीकी समाधान जो उनमें मानव प्रवेश की जरूरत को समाप्त कर दे।
- श्रेणी बी: सेप्टिक टैंकों की सफाई एवं रख-रखाव के लिए ऐसे तकनीकी समाधान जो उनमें मानव प्रवेश की जरूरत को समाप्त कर दे।

स्रोत: पीआईबी

भारत में वर्ष 2016 में 54,723 बच्चों का अपहरण हुआ: गृह मंत्रालय रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों के चोरी हो जाने के डर को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता। गृह मंत्रालय की ओर से जारी वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष भारत से लगभग 55,00 बच्चों अपहरण किया गया। यह आंकड़ा एक वर्ष पहले के आंकड़ों के मुकाबले 30% अधिक है।

  गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष लगातार बच्चों का अपहरण हो रहा है तथा इसपर उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य

- गृह मंत्रालय की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में 54,723 बच्चे अगवा हुए लेकिन केवल 40.4 प्रतिशत मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल किए गए।
- वर्ष 2016 में बच्चों के अपहरण के मामलों में दोष साबित होने की दर महज 22.7 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2015 में ऐसे 41,893 मामले दर्ज किए गए जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या 37,854 थी. वर्ष 2017 के आंकड़े अभी पेश नहीं किए गए हैं।
- गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में देश में मानव तस्करी के 8132 मामले दर्ज किए गए।
- बच्चों के खिलाफ अपराध के 1.06 लाख मामले भी दर्ज किए गए. यह वर्ष 2015 की तुलना में 13.6 प्रतिशत अधिक थे।
- आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2016 में प्रति एक लाख बच्चों में से 24 के खिलाफ अपराध हुए।
- इन अपराधों में ज्यादातर बढ़ोतरी मानव तस्करी, अपहरण, पोक्सो तथा किशोर न्याय के मामलों में हुई है।

पॉक्सो एक्ट क्या है?

- इसका शाब्दिक अर्थ है, प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 अर्थात् लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012।
- यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।
- इस अधिनियम की धारा 4 के तहत दुष्कर्म के मामले में अपराधी को सात साल अथवा उम्रकैद हो सकती है।
- हाल ही में किये गये संशोधन के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ किये गये बलात्कार में मृत्युदंड दिया जाना तय किया गया है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत में हिंदी प्रसार की वृद्धि दर 25.19%: जनगणना रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

❑ हाल में आए 2011 की जनगणना के भाषा संबंधी आंकड़े के अनुसार हिंदी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच के दस सालों में हिंदी बोलने वाले लोगों संख्या में करीब 10 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक हिंदी की वृद्धि दर 25.19 फीसदी रही।

जनगणना रिपोर्ट:

➢ 2011 के जनगणना के आधार पर भारतीयों भाषाओं के आंकड़े के अनुसार 43.63 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। 2001 के जनगणना के मुकाबले हिंदी को अपनी मातृभाषा बताने वालों की संख्या बढ़ी है।

➢ ताजा आंकड़ो के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा करीब 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इसके बाद 9.7 करोड़ लोग बंगाली. दो लाख साठ हजार लोगों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताया है।

➢ बीते 10 साल में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में 14.67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा मानने वाले लोग सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में हैं।

➢ इसके बाद अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा मानने वाले लोग सबसे ज्यादा तमिलनाडु और कर्नाटक में हैं. तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुआ है. इन दोनों राज्यों में हिंदी, असमिया और उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या में 33 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है।

➢ तमिलनाडु और केरल में हिंदी बोलने वालों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, उत्तर भारत के राज्यों में तमिल और मलयालम बोलने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। इन आंकड़ो से साफ है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत आने वालों की संख्या लगातार घट रही है।

➢ मुंबई में कन्नड़ और तेलगु को अपनी मातृभाषा मानने वालों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है. सत्तर और अस्सी के दशक में मुंबई दक्षिण भारत के लोगों का पसंदीदा शहर हुआ करता था, लेकिन अब दक्षिण के राज्यों में मुंबई का आकर्षण कम हुआ है।

संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा:

➢ देश में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है. भारत की इस सबसे पुरानी भाषा को केवल 24,821 लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया है. इसे बोलने वाले लोगों की संख्या बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी भाषा से भी कम है.

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंग्रेजीभाषी:

➢ अंग्रेजी भारत समेत दुनियाभर में कामकाज की मुख्य भाषा मानी जाती है। 2011 की जनगणना में अंग्रेजी को करीब 2.6 लाख लोगों ने मातृभाषा बताया। गौरतलब है कि इनमें सबसे ज्यादा 1.06 लाख लोग अकेले महाराष्ट्र से हैं। इस मामले में तमिलनाडु दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है।

राजस्थान की भिली सूचीबद्ध भाषाओं से भी आगे:

➢ राजस्थान में बोली जाने वाली भिली/भिलौड़ी भाषा 1.04 करोड़ की संख्या के साथ गैर-सूचीबद्ध भाषाओं में पहले नंबर पर है। जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली गोंडी भाषा बोलने वालों की संख्या 29 लाख है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

शीर्ष पांच भाषाएं:

भाषा	मातृभाषा (फीसदी)
हिंदी	43.63 फीसदी
बांग्ला	8.30 फीसदी
मराठी	7.09 फीसदी
तेलुगू	6.93 फीसदी
गुजराती	4.74 फीसदी

स्रोत: द हिंदू

उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी की आधारभूत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में बजटीय आवंटन के अतिरिक्त ढांचागत विकास की जरूरत पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी (एचईएफए) की आधारभूत पूंजी का विस्तार कर इसे दस हजार करोड रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी को इसलिए अधिक वित्तीय विस्तार प्रदान किया गया है ताकि वह शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत ढांचे में सुधार कर सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

मुख्य तथ्य

- शिक्षा क्षेत्र में 2022 तक इसे अपने संसाधनों के बल पर आधार पूंजी एक लाख करोड़ रुपए करने को कहा गया है।
- इसके माध्यहम से शैक्षणिक संस्थातनों की आवश्यमकताओं को समावेशी तरीके से पूरा किया जाएगा।
- इससे सभी संस्थानों खासकर केंद्रीय विद्यालयों तथा एम्स जैसे सीमित संसाधनों वाले संस्थानों को बुनियादी सुविधा जुटाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- मंत्रिमंडल ने एचईएफए को शिक्षण संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाने हैं इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं।
- वाणिज्यिक रूप से धन संग्रह करने की प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परामर्श किया जाएगा ताकि धनराशि संग्रह कम से कम लागत पर हो सके।

कौन से संस्थान योजना के पात्र हैं?

- 10 साल से अधिक पुराने तकनीकी संस्थान: संपूर्ण मूलधन का पुनर्भुगतान आंतरिक रूप से संग्रह किए गये बजट संसाधनों के द्वारा करने वाले संस्थान इस योजना के पात्र होंगे।
- 2008 और 2014 के बीच शुरू किए गये तकनीकी संस्थान: मूलधन की 25 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान आंतरिक संसाधनों द्वारा तथा मूलधन की शेष राशि के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- 2014 के पहले शुरू किए गये केन्द्रीय विश्वविद्यालय: मूलधन की 10 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान आंतरिक संसाधनों द्वारा तथा मूलधन की शेष राशि के लिए अनुदान प्राप्त होगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- नये स्थापित संस्थान (2014 के बाद प्रारंभ): स्थायी कैम्पस के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान: सभी नये स्थापित एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों, केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी और संबंधित विभाग/मंत्रालय संस्थान को पर्याप्त अनुदान के माध्यम से मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी (एचईएफए)

- सरकार ने उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी (एचईएफए) का गठन गैर लाभकारी तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तौर पर 31 मई 2017 को किया था और इसे उच्च शिक्षा के लिए ढांचागत विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए बजट में आवंटित राशि के अलावा वित्तीय साधन जुटाने का अधिकार दिया गया था।
- वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पूरे मूलधन का पुनर्भुगतान संस्थान के द्वारा 10 वर्षों की अवधि में किया जाता है. ब्याज के हिस्से का भुगतान सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से किया जाएगा। अब तक एचईएफए ने 2016 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

स्रोतः द हिंदू

राजव्यवस्था एवं शासन सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

राज्यसभा सदस्य अब किसी भी भारतीय भाषा में बोल सकेंगे

चर्चा में क्यों?

- राज्यसभा के सदस्य अब किसी भी भारतीय भाषा में अपनी बात सदन में रख सकेंगे। संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।
- राज्यसभा का मॉनसून सत्र 18 जुलाई 2018 को हुआ है जिससे पूर्व यह घोषणा की गई है। राज्यसभा से सभापति एम वैंकेया नायडू ने कहा कि मुझे हमेशा से यह महसूस होता रहा है कि हमारी भावनाओं और विचारों को बगैर किसी अवरोध के जाहिर करने के लिए मातृभाषा प्राकृतिक माध्यम है. उन्होंने कहा कि संसद जैसी बहुभाषी संस्था में सदस्यों को भाषाई बाधाओं के चलते अन्य की तुलना में खुद को अक्षम या तुच्छ नहीं समझना चाहिए।

राज्यसभा द्वारा की गई घोषणा

- राज्यसभा सचिवालय ने इस संबंध में पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में राज्यसभा सदस्य अपनी बात कह सकें।
- सदन में चर्चा के दौरान फिलहाल 17 भाषाओं के ही अनुवादक उपलब्ध थे।
- राज्यसभा के सभापति के निर्देश पर पांच अन्य भाषाओं के अनुवादकों की भी नियुक्ति कर ली गई है।
- इन भाषाओं में डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी प्रमुख हैं।
- राज्यसभा सचिवालय ने पांच भाषाओं के अनुवादकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देने का काम पूरा कर लिया गया है।

पृष्ठभूमि

- राज्यसभा में पहले केवल 12 भाषाओं में बोलने की व्यवस्था थी जिनके लिए अनुवादक नियुक्त किये गये थे।
- इन भाषाओं में असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थीं।
- इसके बाद अनुवादकों की सहायता से पांच अन्य भाषाओं बोडो, मैथिली, मणिपुरी, मराठी और नेपाली में बोलने की सुविधा प्रदान की गई।
- अनुवादकों की नियुक्ति में राज्यसभा सचिवालय ने विश्वविद्यालयों, दिल्ली में राज्यों के सदनों और कुछ अन्य संगठनों की मदद ली।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाएं

- आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है. इस अनुसूची में 1950 में 14 भाषाएँ (असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू) थीं. बाद में सिंधी को 1967 में तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में शामिल किया गया, जिससे इन भाषाओं की संख्या 18 हो गई. तत्पश्चात वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया और इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हो गई

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने 06 जुलाई 2018 को स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होता है और उसके पास उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों के पास मामलों को आवंटित करने का विशेषाधिकार एवं प्राधिकार होता है।
- यह आदेश पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर आया है जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश द्वारा शीर्ष न्यायालय में मामलों को आवंटित करने की वर्तमान रोस्टर प्रणाली को चुनौती दी थी।

मास्टर ऑफ रोस्टर क्या है?

- नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अहम फैसला दिया था जिसके तहत पांच जजों की पीठ ने अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' बताया था।
- इसके अनुसार चीफ जस्टिस अपने विवेक से यह तय कर सकता है कि कौन से केस की सुनवाई किस जज की बेंच करेगी। 'मास्टर ऑफ रोस्टर थ्योरी' के तहत चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वह जजों के बीच केसों का आवंटन कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश श्मास्टर ऑफ रोस्टरश हैं। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है और उन पर मामलों को आवंटित करने का विशिष्ट दायित्व होता है।
- जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के आवंटन (रोस्टर) के लिए मुख्य न्यायाधीश ही अधिकृत हैं।
- जस्टिस सीकरी ने कहा कि लोगों के मन में न्यायपालिका का क्षरण होना न्यायिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
- साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी तंत्र पुख्ता नहीं होता और न्यायापालिका की कार्यप्रणाली में भी सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायधीश होने के नाते मुख्य न्यायाधीश 'न्यायपालिका का नेता एवं प्रवक्ता' होता है।

पृष्ठभूमि

- प्रशांत भूषण ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर 'दिशानिर्देश विहीन और बेलगाम' विशेषाधिकार नहीं हो सकता जिसका उपयोग मुख्य न्यायाधीश मनमाने ढंग से अपने चुनिंदा न्यायाधीशों की पीठ चुनने अथवा विशेष जजों को मामले आवंटित करने के लिए करे। गौरतलब है कि जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामलों के आवंटन पर सवाल उठाए थे।

स्रोतः द हिंदू , इंडियन एक्सप्रेस

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप 'सीविजिल' लांच किया

चर्चा में क्यों?

- भारत निर्वाचन आयोग ने 03 जुलाई 2018 को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने हेतु 'सीविजिल' ऐप लांच किया.
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा ने एक कार्यक्रम के दौरान इस ऐप को लांच किया।

'सीविजिल' ऐपः मुख्य तथ्य

- 'सीविजिल' ऐप यूजर्स सहज और एन्ड्रायड एप्लीकेशन संचालन में आसान है।
- यह ऐप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहां चुनाव की घोषणा की गई है। लेकिन, ऐप का बीटा वर्जन लोगों तथा चुनाव कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा, ताकि ये लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें।
- परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह उपलब्धता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से ही होगी। चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान ऐप का व्यावहारिक उपयोग अगले लोकसभा चुनाव के दौरान व्यापक रूप से करने से पहले पायलट प्रयास के रूप में काम करेगा।

ऐप द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्टः

- 'सीविजिल' चुनाव वाले राज्यों में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है.
- यह अनुमति निर्वाचन घोषणा की तिथि से प्रभावी होती है और मतदान की एक दिन बाद तक बनी रहती है.
- नागरिक इस ऐप का इस्तेमाल करके कदाचार की घटना देखने के मिनट भर में घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं और नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पीठासीन अधिकारी के कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी.
- जागरूक नागरिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक तस्वीर क्लिक करनी है या अधिक से अधिक दो मिनट की अवधि की वीडियो रिकॉर्ड करनी है।
- स्वचालित स्थान मानचित्रण का कार्य ऐप द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग से किया जाएगा।
- ऐप के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद जागरूक नागरिक को एक यूनिक आईडी प्राप्त होता है, ताकि वह अपने मोबाइल पर आगे की कार्रवाई को जान सके और सूचना प्राप्त कर सके.
- इस तरह एक नागरिक उल्लंघन की अनेक रिपोर्ट कर सकते हैं और प्रत्येक रिपोर्ट के लिए उन्हें यूनिक आईडी दिया जाएगा। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

शिकायत दर्ज होने के बादः

- शिकायत दर्ज होने के बाद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को प्राप्त होती है, जहां से इसे फील्ड इकाई को सौंपा जाता है. एक फील्ड इकाई में फ्लाइंग स्क्वायड स्टैटिक निगरानी दल, आरक्षित दल होते हैं।
- प्रत्येक फील्ड इकाई के पास एक जीआईएस आधारित मोबाइल एप्लीकेशन होगा, जिसे 'सीविजिल डिस्पैचर' कहा जाता है। यह मोबाइल एप्लीकेशन इकाई को स्थान पर सीधे पहुंचने और कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- फील्ड इकाई द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद यह 'कार्रवाई रिपोर्ट' के रूप में संदेश भेजता है और प्रासंगिक दस्तावेज 'सीविजिल डिस्पैचर' के माध्यम से संबंधित पीठासीन अधिकारी को उनके निर्णय और निष्पादन के लिए अपलोड करता है।
- यदि कदाचार की घटना सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई के लिए सूचना भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल को भेजी जाती है और जागरूक नागरिक को 100 मिनट के अंदर की गई कार्रवाई की सूचना दी जाती है।

ऐप में दुरुपयोग रोकने की अंतरनिहित विशेषताएं:

- इस ऐप में दुरुपयोग रोकने की अंतरनिहित विशेषताएं हैं. यह ऐप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है।
- तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए पांच मिनट का समय मिलेगा।
- किसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐप पहले से रिपोर्ट किए गए या पहले ली गई तस्वीरों या वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं देगा।
- इस ऐप में 'सीविजिल' ऐप का इस्तेमाल करते हुए फोटो और रिकॉर्डेड वीडियो को फोटो गैलरी में सेव करने की सुविधा नहीं होगी. यह ऐप चुनाव वाले राज्यों से नागरिक के बाहर निकलते ही निष्क्रिय हो जाएगा।

महत्व:

- अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर फौरी कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके कारण उल्लंघनकर्ता कार्रवाई से बच जाते हैं.
- शिकायत के सत्यापन में तस्वीर या वीडियो के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की कमी भी बाधा थी. मजबूत अनुक्रिया प्रणाली के आभाव में घटना स्थल की त्वरित और सटीक पहचान भौगोलिक स्थान विवरण की सहायता से नहीं की जा सकती थी।
- नया ऐप इन सभी समस्या को दूर करेगा और फास्ट-ट्रैक शिकायत प्राप्ति और समाधान प्रणाली बनाएगा।

स्रोत: द हिंदू

आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक लोकसभा में पारित

चर्चा में क्यों?

- बैंकों से बड़े कर्ज लेकर बिना चुकाये विदेश भाग जाने वालों को वापस लाने और उनकी संपत्ति जब्त करने संबंधी भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 लोकसभा में पारित हो गया।

विधेयक के उद्देश्य

- इस कानून के अस्तित्व में आने के दिन जो भी व्यक्ति "भगोड़ा आर्थिक अपराधी है या भविष्य में भगोड़ा आर्थिक अपराधी बनता है" उस पर यह कानून लागू होगा. इससे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे अपराधियों को देश वापस लाने तथा उनकी संपत्ति जब्त करने में तेजी आयेगी।
- भारत में ऐसे विभिन्न मामले देखे गये हैं जिनमें अपराधी आर्थिक अपराध की दंडनीय कार्यवाही शुरू होने की संभावना में अथवा कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से दूर विदेश चले गये हैं. इससे भारतीय अदालतों द्वारा की जाने वाली न्यायिक जांच में बाधा उत्पन्न होती है। इससे न केवल न्यायालयों का समय व्यर्थ होता है बल्कि भारत में विधि का शासन भी कमजोर होता दिखता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक, 2018 से संबंधित मुख्य तथ्य

- विधेयक के पारित होते ही यह कानून ऐसे मामलों में लागू होगा, जहाँ अपराध 100 करोड़ रुपए से अधिक के हो।
- यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देता है।
- यह विधेयक, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है।
- इस विधेयक में किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी की कोई सिविल दावा करने या बचाव करने की हकदारी नहीं होने का भी प्रावधान है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिये नया कानून लाएगी। इस कानून के लिए ललित मोदी, विजय माल्या, और फिर नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों द्वारा देश छोड़ कर भाग जाने पर और भी अधिक आवश्यकता बढ़ गई। इस विधेयक के कानून बन जाने पर इस तरह के आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाये जाने की उम्मीद है।

स्रोतः द हिंदू

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पारित

चर्चा में क्यों?

- पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए 26 जुलाई 2018 को सदन में एक प्रस्ताव पारित किया है. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य का नाम बदलकर 'बांग्ला' रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
- इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. यह नाम तभी बदल पाएगा जब इस प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय अपनी स्वीकृति दे देगा।

मुख्य तथ्य

- इस प्रस्ताव पर केन्द्र और राज्य के बीच कोई फैसला न आने के बाद एक बार फिर से यह कदम उठाया गया है।
- इससे पहले, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें पश्चिम बंगाल को इंग्लिश में बंगाल और बंगाली में बंग्ला करने की सिफारिश की गई थी।
- इससे पहले, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में राज्य सरकार ने उस वक्त यह फैसला किया था कि तीनों भाषा- बंगाली, हिन्दी और इंग्लिश में इसका नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नाम बदलने का कारण

- तृणमूल कांग्रेस जब राज्य की सत्ता में आई थी उस समय राज्य का नाम बदलकर पश्चिम बांगो करने का फैसला किया था और उसके बाद फिर उसे बंगाल करने का फैसला किया था.
- उस समय भी उसे केन्द्र से स्वीकृति नहीं मिल पाई थी. पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का शुरुआती कारण यह है कि जब भी सभी राज्य सरकारों की बैठक होती है तो वर्णक्रमानुसार सूची में पश्चिम बंगाल का नाम सबसे आखिर में आता है.

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं. इनके अनुसार संसद कानून बनाकर नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना एवं किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने संबंधी मामलों में कदम उठा सकती है।
- राज्य का विधानमंडल इस विषय में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजता है. इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- अनुमोदन के उपरान्त केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को पुनः सम्बंधित राज्य/राज्यों के विधानमंडल को अपना विचार रखने एवं एक निश्चित समय के अन्दर उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है. संसद में बहुमत प्राप्त होने पर राज्य के नाम परिवर्तन पर अंतिम मुहर लग जाती है।

स्रोतः द हिंदू

संसद ने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया

चर्चा में क्यों?

- लोकसभा में 24 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 के पारित हो जाने से इस कानून को संसद की मंजूरी मिल गई है।
- यह विधेयक भ्रष्टाचार की रोकथान अधिनियम 1988 में संशोधन करता है. यह विधेयक उन अधिकरियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं. ये विधेयक राज्य सभा से 19 जुलाई 2018 को ही पास हो चुका है।

विधेयक के प्रावधानः

- इस विधेयक में रिश्वत लेने वाले के साथ रिश्वत देने वाला भी समान रूप से जिम्मेदार है. विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए।
- नए कानून के तहत रिश्वत लेने वालों की तरह रिश्वत देने वालों को भी 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
- इस नए कानून में ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गई है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- नए कानून के मुताबिक किसी भी लोकसेवक पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले अगर वह केंद्र का है तो पहले लोकपाल और अगर लोकसेवक राज्य का है तो राज्यों में लोकायुक्तों की अनुमति लेनी होगी।
- इसके अलावा जिस व्यक्ति पर रिश्वत देने का आरोप होगा उसको अपनी बात रखने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाएगा जिसे कुछ विशेष परिस्थियों में 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

पृष्ठभूमि:

- भ्रष्टाचार निरोधक कानून (1988) संशोधन के लिए 2013 में पेश किया गया था इसके बाद इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था स्थाई समिति ने इस पर अपने विचार रखने के बाद इसको प्रवर समिति के पास भेजा था जिसके बाद इसको समीक्षा के लिए विधि आयोग के पास भी भेजा गया. अंत में समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसके बाद 2017 में इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश किया गया था।

स्रोत: पीआईबी

दृष्टिबाधित मतदाताओं हेतु ब्रेल लिपि में वोटर कार्ड जारी

चर्चा में क्यों?

- चुनाव आयोग ने मतदान में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए मुफ्त यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने, ब्रेल लिपि वाले मतदाता पहचान पत्र जारी करने और विशिष्ट मतदान केंद्र शुरू करने सहित कुछ अहम फैसले किए हैं।

मुख्य तथ्य:

- मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को उनके शहर में एक सहायक के साथ मतदान केन्द्र तक जाने के लिये सार्वजनिक यातायात की मुफ्त सुविधा भी मिलेगी।
- दिव्यांगों मतदाताओं के लिए विशिष्ट मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे जहां पर्याप्त संख्या में दिव्यांगों की मौजूदगी हो जिससे उन्हें सामान्य मतदान केन्द्रों पर आने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।
- दिव्यांगों के लिये मतदाता सूची में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद के लिये राज्य और जिला स्तर पर विशिष्ट नोडल अधिकारी भी तैनात किये जायेंगे।
- दिव्यांगों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने और भागीदारी को बढ़ाने के नये उपायों की तलाश तथा इस पर शोध के लिये आयोग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान में पृथक इकाई भी गठित की जायेगी।
- दृष्टिबाधित मतदाताओं को चुनाव से पहले ब्रेल लिपि में ही मतदाता पर्ची भी मिलेगी।
- अब ईवीएम मशीन में ऐसे फीचर डाले जाएंगे जिनकी मदद से दृष्टिबाधित लोग ईवीएम में लगी बटनों को छूकर चुनाव चिन्हों की पहचान कर सकेंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

ब्रेल पद्धति के बारे में

- ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है, जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है।
- इस पद्धति का आविष्कार वर्ष 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था।
- यह अलग-अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं।
- ब्रेल लिपि में प्रत्येक आयताकार सेल में 6 बिन्दु यानि डॉट्स होते हैं, जो थोड़े-थोड़े उभरे होते हैं. यह दो पंक्तियों में बनी होती हैं। इस आकार में अलग-अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है।
- यूनिकोड मानक में ब्रेल को सितम्बर 1999 में शामिल किया गया था।
- लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे।
- वर्ष 1824 में पूर्ण हुई यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है।

स्रोतः द हिंदू

बिहार विधानसभा ने शराबबंदी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- बिहार विधानसभा ने 23 जुलाई 2018 को शराबबंदी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इन संशोधनों के जरिये शराबबंदी कानून को पहले के मुकाबले काफी हद तक नरम किया गया है।

संशोधित विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्यः

- पहली बार शराब पीने पर पकड़े जाने की स्थिति में आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर उसे तीन महीने जेल की सजा काटनी होगी। यही नहीं, पहले इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए जमानत का प्रावधान नहीं था लेकिन, अब इस कानून में जमानत का विकल्प जोड़ दिया गया है।
- हालांकि दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने और पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
- संशोधन से पहले यदि किसी भवन से शराब बरामद होती थी तो उस भवन को जब्त करने का प्रावधान था। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त सभी बालिग सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने की व्यवस्था थी लेकिन अब सिर्फ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले को ही गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- किसी गांव में शराब बनाने के धंधे का पता चलने पर सामूहिक जुर्माने का प्रावधान था। अब इसे खत्म कर दिया जाएगा।
- किरायेदार के पास अगर शराब मिलती है तो घर जब्त नहीं होगा। आरोपित पर मुकदमा होगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि:

- 5 अप्रैल 2016 से बिहार में किसी भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है. इसमें नीतीश सरकार ने देसी शराब के बनाने से लेकर उसके बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी. आरम्भ में केवल देसी शराब पर रोक थी बाद में सभी प्रकार की शराब की बिक्री को प्रतिबन्धित कर दिया गया।
- किसी घर से शराब की बोतल बरामद होने पर उस परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रावधान था. इस निर्णय के बाद बिहार देश का चौथा राज्य बना गया था जहां शराब बेचना और खरीदना पूर्णतया प्रतिबंधित है. गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में शराबबंदी कानून पहले से ही लागू है।
- लगभग सवा लाख से अधिक मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है, जिसकी सुनवाई में काफी दिक्कत हो रही है. इन सभी मुद्दों को देखकर शराब बंदी कानून में बदलाव किया जाएगा।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

मानव तस्करी रोकने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित

चर्चा में क्यों?

- लोकसभा ने मानव तस्करी रोकने तथा पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को 26 जुलाई 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018:

मुख्य तथ्य

- इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत दक्षिण एशिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जायेगा जिनमें व्यक्तियों – विशेषकर महिलाओं और बच्चों – की तस्करी तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गये हैं।
- इस विधेयक में तस्करी के शिकार हुए लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास की बात भी की गयी है, लेकिन आरंभ में इसके लिए महज 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में पुलिस अधिकारी को मानव तस्करी के मामले पकड़ने पर मजिस्ट्रेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
- पुलिस अधिकारी को ही मजिस्ट्रेट के बराबर अधिकार दिए गए हैं इसलिए वह सीधे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

भारत में मानव तस्करी संबंधी आंकड़े

- संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार 'किसी व्यक्ति को डराकर, बलप्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है' दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण एवं बंधुआ मजदूरी के लिए की जाती है।

  ऐसा माना जाता है कि एशिया में सबसे अधिक मानव तस्करी भारत से होती है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- मीडिया में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।
- वर्ष 2011 में लगभग 35,000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई जिसमें से 11,000 से अधिक केवल पश्चिम बंगाल से थे।
- इसके अलावा यह माना जाता है कि कुल मामलों में से केवल 30 प्रतिशत मामले ही रिपार्ट किए गए और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।
- गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चार सालों में कर्नाटक में मानव तस्करी के 1379 मामले रिपोर्ट हुए, तमिलनाडु में 2244 जबकि आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी के 2157 मामले दर्ज किये गये थे।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम मसौदा जारी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स – एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदा को जारी कर दिया गया है।

  इसे इसलिए जारी किया गया है ताकि असम में अवैध तौर पर रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) क्या है?

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) असम के नागरिकों की नागरिकता सूची है. इसमें उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ हैं, जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में यह आश्वासन भी दिया गया है कि जो लोग वैध नागरिक नहीं पाए गए हैं, उन्हें निर्वासित नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आवश्यकता क्यों?

- असम में लंबे समय से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का मुद्दा छाया रहा है. 80 के दशक में इसे लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद असम गण परिषद और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के बीच समझौता हुआ।
- इसमें कहा गया है कि वर्ष 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी को निर्वासित किया जाएगा।
- वर्ष 1951 में एनआरसी तैयार किया गया था तब से इसे सात बार जारी करने की कोशिशें हुईं।
- आखिरकार, वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सूची जारी हुई है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में दर्ज मुख्य तथ्य

- कुल 3.29 करोड़ आवेदन में 2.89 करोड़ लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में शामिल किए जाने के योग्य पाए गए जबकि 40 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट में नहीं हैं।
- वैध नागरिकता के लिए 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 40,07,707 लोगों को अवैध माना गया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- दो करोड़ 89 लाख 83 हजार छह सौ सात लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में योग्य पाकर उन्हें शामिल किया गया है।
- सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं हैं उनके अधिकार कम नहीं होंगे।
- आवेदकों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिस पर फोन करके भी पता लगाया जा सकता है, कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिली है या नहीं।

स्रोतः द हिंदू

दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार मिलकर काम करें: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य चली आ रही बहस पर 04 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जनता के हित में काम करना चाहिए।
- पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अलावा दिल्ली विधानसभा कोई भी कानून बना सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि एलजी का काम राष्ट्रहित का ध्यान रखना है, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चुनी हुई सरकार के पास लोगों की सहमति है।
- सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि दिल्ली की स्थिति अलग है, ऐसे में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है जबकि वहीँ पर उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।
- पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- दिल्ली सरकार का कथन था कि संविधान के तहत दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार के मंत्रिमंडल को न सिर्फ कानून बनाने बल्कि कार्यकारी आदेश के जरिये उन्हें लागू करने का भी अधिकार है।
- दिल्ली सरकार का आरोप था कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को कोई काम नहीं करने देते और हर फाइल व सरकार के प्रत्येक निर्णय को रोक लेते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति एमएम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से दलीलें सुनने के बाद गत छह दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना हेतु खेल प्राधिकरण ने 734 युवाओं का चयन किया

चर्चा में क्यों?

- खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के सफल संचालन के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण ने 22 जुलाई 2018 को खेलों के विकास की दिशा में एक अन्य उल्लेखनीय कदम उठाया है। खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान विकास छात्रवृत्ति योजना के तहत एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए 734 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
- उच्च स्तरीय समिति के समक्ष लाभार्थियों के नामों का चयन करने एवं प्रस्तावित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं से निर्मित एक प्रतिभा पहचान समिति गठित की गई जिसने निरीक्षण करने के बाद नामों को अंतिम मंजूरी दी।

खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना

- खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान विकास योजना के तहत 734 खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें सरकार से मान्याता प्राप्त आवासीय अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इन खिलाड़ियों को दैनिक खर्चे, इलाज और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना एक लाख 20 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
- यह राशि उन्हें चार भागों में तीन-तीन महीने पर दी जाएगी।
- इन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया से मान्यता प्राप्त अकादमियों में प्रशिक्षण मिलेगा।
- इन अकादमियों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, रहने और टूर्नामेंट खर्च का ध्यान रखना होगा।

खेलो इंडिया कार्यक्रम

- यह एक भारतीय खेल छात्रवृति योजना है जिसमें चुनिंदा खेल विधाओं में से प्रत्येक वर्ष 1,000 सर्वाधिक प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक खिलाड़ी को लगातार आठ वर्षों के लिये पाँच लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- इससे भारत में प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों का एक दल तैयार किया जा सकेगा जिससे भारतीय खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

स्रोतः द हिंदू

राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा दुग्ध योजना आरंभ की

चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 02 जुलाई 2018 को सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अन्नपूर्णा दुग्ध परियोजना आरंभ की। इस योजना के तहत 62 लाख बच्चों को सप्ताह में तीन बार निःशुल्क दूध उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई इस योजना में राजस्थान के विद्यालयों एवं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याहन भोजन के दौरान दूध दिया जायेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दहमी कलां में एक सरकारी विद्यालय से इस योजना की शुरुआत की।

अन्नपूर्णा दुग्ध योजना

- राजस्थान के 66 हजार सरकारी स्कूलों में यह योजना आरंभ की गई है।
- कक्षा पांच तक के छात्र को सप्ताह में तीन बार 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- कक्षा छह से आठ में पढ़ने वाले छात्रों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा।
- परियोजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा चलाई जा रही दूध उत्पादन समितियों को वरियता दी जाएगी।
- राज्य सरकार का मानना है कि दूध परियोजना स्कूली छात्रों के बेहतर पोषण के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।
- दूध एकत्रित करने का उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार के डेयरी विभाग के अधीन आने वाली सरस डेरी को दिया गया है, जो ताजा और गर्म दूध बच्चों को मिड डे मील के साथ देगी।

इस कदम का महत्व

- राज्य में कुपोषण के शिकार बच्चों को पोषण देने के लिहाज से यह एक अच्छा कदम है. इसका एक अन्य लाभ सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है।
- सरकार का मानना है कि जिस प्रकार मिड-डे मील से स्कूली बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है उसी प्रकार बच्चों को गर्म और ताजा दूध देने से स्कूलों में कम हो रही छात्रों की संख्या पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

ELITE IAS

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच 16 जुलाई 2018 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में ऐतिहासिक शिखर वार्ता आयोजित की गयी।
- इस शिखर वार्ता में ट्रंप ने रूस के साथ असाधारण संबंधों का वादा किया, वहीं पुतिन ने कहा कि दुनिया भर में विवादों का हल समय की जरूरत है।

ट्रम्प - पुतिन बैठक के मुख्य बिंदु

- डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के साथ शिखर बैठक में 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के आरोप में रूस को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी. उन्होंने कहा, रूस पर शक करने की कोई वजह नहीं है।
- डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हमारे पास विश्व का 90 प्रतिशत परमाणु हथियार है और यह एक अच्छी चीज नहीं है।
- बैठक के बाद ट्रम्प ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीरिया की समस्या हमारे बीच जटिल मुद्दा था. दोनों देशों में सहयोग हजारों जानें बचाने की क्षमता रखता है।
- अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि आईएसआईएस के खिलाफ उनके अभियान का श्रेय ईरान को नहीं लेने दिया जाएगा।
- ट्रम्प ने पुतिन से मुलाकात के पहले ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका के रूस के साथ खराब संबंधों के लिए अमेरिका की पिछली सरकारें और नेता जिम्मेदार हैं।

हेलसिंकी में बैठक क्यों?

- डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के प्रेजिडेंशल पैलेस में बैठक आयोजित की गई. फिनलैंड में यह बैठक इसलिए आयोजित की गई क्योंकि फिनलैंड नाटो का सदस्य नहीं है।
- रूस द्वारा नाटो देशों के साथ तनातनी के चलते हेलसिंकी को उपयुक्त माना गया।
- वर्ष 1995 में फिनलैंड यूरोपिय संघ में शामिल हुआ था, पर सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बना था।
- इसलिए दोनों देशों के लिए हेलसिंकी एक निष्पक्ष जगह है।
- डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के मध्य हुई इस ऐतिहासिक शिखर बैठक से अमेरिका और रूस के संबंध अवश्य सुधर सकते हैं लेकिन इससे भारत-रूस-चीन गठबंधन कमजोर हो सकता है. दोनों देशों की बैठक के बाद विशेषज्ञों द्वारा जारी विश्लेषणों में कहा गया कि इस गठबंधन के मजबूत होने से दक्षिण एशिया में अमेरिका के वर्चस्व में कमी आ सकती है जिसके चलते अमेरिकी कूटनीति के तहत यह बैठक आयोजित की गई. रूस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी यह बैठक अहम मानी जा रही है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना

चर्चा में क्यों?

- भारत जुलाई, 2018 से जून, 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन गया है. डब्ल्यूसीओ ने अपनी सदस्यता को छह क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है।
- छह क्षेत्र में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व डब्ल्यूसीओ परिषद में क्षेत्रीय रूप से निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है. डब्ल्यूसीओ दुनिया भर में 182 सीमा शुल्क प्रशासकों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामूहिक रूप से विश्व व्यापार के लगभग 98 प्रतिशत को प्रोसेस करते हैं।

भारत के लिए महत्व

- डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत (एपी) क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनना भारत को नेतृत्व की भूमिका में सक्षम बनाएगा।
- उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने के अवसर पर 16 जुलाई, 2018 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की साझीदारी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी) द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया।
- इस समारोह में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 33 देशों के सीमा शुल्क शिष्टमंडल, भारत में विभिन्न बंदरगाहों के सीमा शुल्क अधिकारी, साझीदार सरकार एजेन्सियां तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- इसके उद्घाटन समारोह की थीम थी 'सीमा शुल्क-व्यापार सुगमीकरण को प्रोत्साहन।'

विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ)

- विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गयी थी।
- यह एक अंतरसरकारी संगठन है। डब्ल्यूसीओ का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि लाना है।
- वर्ष 1947 में व्यापार एवं प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता गैट, द्वारा पहचाने गए सीमाकर मामलों के परीक्षण हेतु 13 यूरोपीय देशों ने एक अध्ययन दल की स्थापना की।
- डब्ल्यूसीओ की सदस्यता निरंतर विश्व के सभी क्षेत्रों में पहुंच गई है. वर्ष 1994 में संगठन ने इसका वर्तमान नाम विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) अपनाया. आज, डब्ल्यूसीओ के सदस्य विश्व के 98 प्रतिशत से अधिक व्यापार के सीमाकर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं।
- डब्ल्यूसीओ के उल्लेखनीय कार्य क्षेत्रों में शामिल हैं – वैश्विक मानकों का विकास, सीमावर्ती प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं हितकारी करना व्यापार आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुसाध्य बनाना, सीमाकर प्रवर्तन और सम्बद्ध गतिविधियों में वृद्धि करना, नकल विरोधी कदम उठाना आदि।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत और रवांडा के बीच आठ समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

❑ भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच किगाली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य तथ्य

➢ भारत को अफ्रीकी देशों के करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन अफ्रीकी देशों के दौरे के पहले चरण पर 23 जुलाई 2018 को रवांडा पहुंचे।

➢ भारत रवांडा के ट्रेनिंग, तकनीक, आधारभूत विकास और प्रोजेक्ट असिस्टेंस के क्षेत्र में सहयोग करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे के साथ विस्तृत बातचीत की और व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य:

➢ भारत ने किगाली में विशेष आर्थिक क्षेत्र और तीन कृषि परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर ऋण देने की पेशकश की।

➢ भारत कई औद्योगिक पार्क के विकास और रवांडा में किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिये 10 करोड़ डॉलर तथा कृषि के लिये 10 करोड़ डॉलर रवांडा को कर्ज देगा।

➢ दोनों देशों ने चमड़ा एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

➢ यह समझौता अनुसंधान, तकनीकी विकास और मानव संसाधन विकास के साथ-साथ निवेश संगठनात्मकता पर जोर देने के साथ कृषि और पशुधन में सहयोग को गहरा कर देगा।

➢ राष्ट्रपति कागमे के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द रवांडा में अपना दूतावास खोलेगा. इससे दोनों देशों की संबंधित सरकारों के बीच ना सिर्फ संवाद स्थापित होगा बल्कि वाणिज्य संबंधी, पासपोर्ट, वीजा के लिये सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी।

➢ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की रवांडा के आर्थिक विकास की यात्रा में उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना भारत के लिए गौरव की बात है। इस देश की विकास यात्रा में भारत की मदद कायम रहेगी।

➢ प्रधानमंत्री मोदी रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे को सामाजिक योजना में मदद के तौर पर तोहफे में 200 गाय दिए.

रवांडा पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी:

➢ नरेंद्र मोदी रवांडा का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

➢ रवांडा के बाद प्रधानमंत्री युगांडा पहुंचेंगे फिर वहां से दक्षिण अफ्रीका जाएंगे. दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में उन्हें ठत्ब्रै (बांग्लादेश, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका संगठन) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है।

➢ साथ ही, पीएम मोदी फरवरी में दक्षिण अफ्रीका की सत्ता संभालने वाले राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे. दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं का 10वां शिखर सम्मेलन हो रहा है।

➢ प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा अफ्रीका दौरा होगा। इससे पहले वह 2016 में मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या के दौरे पर गए थे।

➢ यह यात्रा, भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा पहली बार, लंबे समय से दोस्ती और रवांडा और भारत के बीच सहयोग के बीच एक मील का पत्थर दर्शाती है।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

✪ प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु इन्वेस्ट इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

❑ हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्टिफीशियल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

❑ यह पहल भारत में आयोजित गोवहैक सीरिज आफॅ वर्ल्ड गर्वमेंट सीरिज के तहत की गई. सुरेश प्रभु ने प्रौद्योगिकी के जरिए प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए की गई सरकारी पहल की सराहना की और साथ ही आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यूएई के साथ सहयोग की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

समझौता से संबंधित मुख्य तथ्य:

➢ यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अगले एक दशक में करीब 20 अरब डॉलर के आर्थिक लाभ का माध्यम बनेगी।

➢ इससे ब्लॉकचौन और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस तथा एनालिटिक्स के क्षेत्र में तेज विकास होगा।

➢ डेटा का संकलन और उसकी प्रोसेसिंग में तेजी आएगी जो कारोबार के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित होगा।

➢ यह सेवाओं की उपलब्धता प्रणाली को ज्यादा सक्षम और प्रभावी बनाएगी. वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के जरिए 957 अरब डॉलर जोड़े जा सकेंगे।

➢ संयुक्त अरब अमीरात-भारत सहयोग के जरिए यूएआई इंडिया वर्किंग ग्रुप (टीडब्ल्यूजी) संयुक्त अरब अमीरात मंत्रालय के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बीच नवाचार और प्रौद्योगिकी की गतिशील प्रकृति का मूल्यांकन करेगा।

➢ निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के जरिए एआई स्टार्टअप और अनुसंधान गतिविधियों में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य के साथ (टीडब्ल्यूजी) की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करेगी।

➢ भारत और यूएई के बीच संबंध व्यापार की सीमाओं से कही बहुत आगे हैं। यूएई में रहने वाले विदेशियों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय मूल के लोगों की है। साथ ही यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है।

भारत में 5.3 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश:

➢ यूएई की ओर से भारत में 5.3 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया गया है. आधारभूत संरचना भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार के पांच प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। यूएई ने भारत में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 75 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है।

डिजीटल विकास:

➢ भारत सरकार ने डिजीटल विकास के लिए कई पहल की है, ताकि इसके जरिए कृषि आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा तथा आपदा प्रबंधन सेवाओं के क्षेत्र में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018

चर्चा में क्यों?

- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10 वां संस्करण जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 25 जुलाई 2018 को शुरू हुआ. यह 3 दिवसीय लंबा शिखर सम्मेलन है और सभी ब्रिक्स नेता इसमें शामिल होंगे. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफ्रीका का तीन-राष्ट्र दौरा दक्षिण अफ्रीका में खत्म हो जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन का विषय 'BRICS in Africa Collaboration with inclusive growth and shared prosperity in the 4th Industrial Revolution' है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है।

भारत द्वारा उठाये गये मुद्दे

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे आतंकवाद के मुद्दे को उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी राष्ट्रों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनकी धरती से कोई भी आतंकी गतिविधि न होने पाए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- सहयोगी ब्रिक्स नेताओं के साथ मोदी ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी के महत्व, कौशल विकास और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग पर एक बेहतर दुनिया बनाने पर अपने विचार साझा किए।
- इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सेरिल रामाफोसा से भी मिले।
- अपने समापन संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को साझा करने की आवश्यकता है।
- पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शि जिनपिंग से तीन बार मिल चुके हैं।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स दुनिया की पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें ब्राजील, - रूस, - इंडिया, - चीन और- साउथ अफ्रीका शामिल है। जुलाई, 2006 में G-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस, भारत, चीन के नेताओं की बैठक में इस ग्रुप को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जिसके बाद पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस के येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को हुआ था।
- ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सहायता करना है. ये देश एक दूसरे के विकास के लिए वित्तीय , तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करते हैं।
- ब्रिक्स देशों के पास खुद का एक बैंक भी है। इस बैंक का नाम नवीन विकास बैंक है। इसका कार्य सदस्यों देशों और अन्य देशों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ब्रिक्स अफ्रीकी देशों की बैठक में भाग लेने वाले देश हैं - रवांडा, यूगांडा, टोगो, जाम्बिया, नामीबिया, सेनेगल, गैबन, इथोपिया, अंगोला एवं अफ्रीकी यूनियन।

ब्रिक्स घोषणापत्र के मुख्य बिंदु

- ब्रिक्स देशों द्वारा जारी घोषणापत्र में आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र रूख का आह्वान किया गया।
- घोषणापत्र में कट्टरपंथ से निपटना, आतंकवादियों के वित्त पोषण के माध्यमों को अवरूद्ध करना, आतंकी शिविरों को तबाह करना और आतंकी संगठनों द्वारा इंटरनेट के दुरूपयोग को रोकना शामिल है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- ब्रिक्स देशों - ब्राजील , रूस , भारत , चीन और दक्षिण अफ्रीका - के समूह ने कहा कि आतंकी कृत्यों को अंजाम देने, उनके साजिशकर्ताओं या उनमें मदद देने वालों को निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- ब्रिक्स ने घोषणापत्र में कहा, हम सभी राष्ट्रों से आतंकवाद से लड़ने के लिए एक समग्र रूख अपनाने का आह्वान करते हैं जिसमें कट्टरपंथ , विदेशी आतंकी लड़ाकों की भर्ती , आतंकवादियों के वित्तपोषण के स्रोतों एवं माध्यमों को अवरूद्ध करना, आतंकी शिविरों को तबाह करना और उनके द्वारा इंटरनेट के दुरूपयोग से निपटना शामिल हो।
- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संघर्ष लंबे समय से संघर्ष को समाप्त किये जाने के संकल्प में देरी के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान परिदृश्य में ब्रिक्स का महत्व

- पिछले 10 वर्षों में उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।
- ब्रिक्स सदस्य देशों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के देश शामिल हैं एवं जी20 के देश शामिल हैं।
- ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 22.53 फीसदी हिस्सा है. विश्व का 18 प्रतिशत व्यापार यही देश करते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों ने इन देशों ने वैश्विक आर्थिक विकास में 50 प्रतिशत भागीदारी निभाई है।

स्रोत: द हिंदू

भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु सहमति जताई

चर्चा में क्यों?

- भारत और चीन ने 26 जुलाई 2018 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक आयोजित की. हाल के दिनों में शुरू हुई बातचीत की गति को बरकरार रखने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए संबंधित हितधारकों को उचित निर्देश देने पर सहमति व्यक्त की।
- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान दोनों देशों के बीच करीबी विकास साझेदारी को समेकित तथा विकसित करने पर सहमति जताई।

भारत-चीन अनौपचारिक सम्मेलन

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान एवं वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय विकास के लिये उनकी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण पर विस्तार से बातचीत करने के लिये 27-28 अप्रैल, 2018 को वुहान में प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- दोनों देशों ने भारत-चीन की सीमा पर डोकलाम सहित अन्य स्थानों पर शांति बनाए रखने तथा सैन्य बलों को शांति के लिए उचित निर्देश देने की प्रतिबद्धता जाहिर की।
- द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य बिंदु
- भारत और चीन द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय मैकनिज्म बनाने पर सहमत हुए हैं।
- इसके जरिए दोनों देशों के बीच पैदा होने वाले विवादों को उच्च स्तर पर प्राथमिकता से निपटाया जाएगा।
- इसके अलावा एक बल गठित किया जाएगा, जो भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को तेजी प्रदान करेगा।
- दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए अपनी-अपनी सेनाओं को निर्देश देने का फैसला लिया है।

डोकलाम विवाद

- डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति है। यह एक ट्राई-जंक्शन है, जहाँ भारत, चीन और भूटान कि सीमा मिलती है। वैसे तो भारत का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है।
- दरअसल इस क्षेत्र को लेकर चीन भूटान के बीच में विवाद है. इस स्थान पर चीन द्वारा सड़क निर्माण आरंभ किये जाने पर भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया जिस पर विवाद बढ़ गया।
- दोनों देशों द्वारा इस स्थान पर अपने-अपने सैन्य बल तैनात कर दिए गये। मामले की महत्ता को समझते हुए दोनों देशों ने संबंध सुधार की जो कोशिश शुरू की उसका ही नतीजा वुहान में अनौपचारिक बैठक के रूप में देखने को मिला।

स्रोतः द हिंदू

अमेरिका भारत के विरुद्ध CAATSA प्रतिबंध नहीं लगाएगा

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी कांग्रेस और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने वॉशिंगटन में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम-2019 को जॉइंट कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में सीएएटीएसए (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act & CAATSA) की धारा 231 में एक संशोधन कर छूट प्रदान की है।
- रूस के साथ सैन्य सौदा करने पर अमेरिका भारत पर CAATSA के तहत प्रतिबन्ध लगाने की योजना बना रहा था। भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया और वियतनाम को भी इस प्रतिबन्ध से छूट दी गयी है. रूस से हथियार और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था।

अमेरिकी निर्णय के प्रमुख कारण

- भारत विश्व के सबसे बड़े सैन्य उपकरण व हथियार खरीदने वाले देशों में से एक है।
- भारत पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप अमेरिका भारत के विशाल बाजार से वंचित रह जाता।
- भारत अमेरिका से वायुसेना के लिए 110 जेट, नौसेना के लिए 57 जेट तथा 120 हेलीकाप्टर खरीदने की योजना बना रहा है, इन सभी सौदों की कुल लागत 2,75,320 करोड़ रुपये (40 अरब डॉलर) है।
- इससे पहले भारत 22 अपाचे हेलीकाप्टर, 15 बोइंग चिनूक कॉप्टर, 145 होवित्जर तोप का आर्डर दे चुका है।

भारत-रूस सैन्य सहयोग

- अमेरिका के अलावा भारत रूस से भी बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण खरीदता है. भारत रूस से वायुसेना के लिए सुखोई-30 डज्ञप लड़ाकू विमान, थल सेना के लिए T-90 टैंक इत्यादि खरीद चुका है. जबकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से निर्मित की गयी है।
- इसके अलावा कामोव हेलीकाप्टर का निर्माण भी भारत में संयुक्त रूप से किया जा रहा है. भारत की 62% सैन्य आवश्यकताएं रूस द्वारा पूरी की जाती हैं. इसके अतिरिक्त डप-17 हेलीकाप्टर, MiG-29 लड़ाकू विमान के पुर्जे तथा कई बख्तरबंद वाहन इत्यादि रूस से प्राप्त किये जाते हैं।

काट्सा (CAATSA) कानून क्या है?

- काट्सा का पूरा नाम 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज़ थ्रू सेक्शंस एक्ट' है।
- इस अमेरिकी कानून के तहत रूस से कोई बड़ी रक्षा खरीद करने वाले देश पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- अमेरिका ने सबसे पहले यह प्रतिबन्ध ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के खिलाफ लगाया।
- इस कानून द्वारा रूस के खिलाफ साइबर सुरक्षा, कच्चे तेल की परियोजनाएं, भ्रष्टाचार, रूसी रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ लेनदेन, हथियारों की खरीद, हथियारों को सीरिया में स्थानांतरित करने आदि मामलों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- यह विधेयक 115वीं अमेरिकी संसद की बैठक में 2 अगस्त 2017 को पारित किया गया था।

भारत-रूस मौजूदा सैन्य सौदे

- भारत ने रूस के साथ एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया है। यह विश्व का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है।
- भारत रूस के साथ 48 एमआई-17-वी 5 हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए अंतिम चरण की वार्ता कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण भी तैयार किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

तुर्की में दो साल बाद आपातकाल की समाप्ति

चर्चा में क्यों?

- तुर्की में 18 जुलाई 2018 को राष्ट्रव्यापी आपात स्थिति को समाप्त कर दिया गया है. दो वर्ष पहले तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद आपात स्थिति लगाई गई थी।
- आपातकाल स्थिति के दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था या नौकरी से हटा दिया गया था. सरकार ने तीन-तीन महीने आपात काल को सात बार बढ़ाने के बाद अब इसे और आगे न बढ़ाने का फैसला किया गया है।
- यह फैसला राष्ट्रपति रिसेप तैयिप एर्दोगन के चुनाव जीतने के दो सप्ताह बाद किया गया है. चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों ने कहा था कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं, तो उनका सबसे पहला काम आपात स्थिति को समाप्त करना होगा।

तुर्की में आपातकाल क्यों लगाया गया?

- तुर्की ने सैन्य तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद 20 जुलाई 2016 को देश में आपातकाल लगा दिया था।
- इस तख्तापलट की कोशिश के लिए निर्वासित धर्मगुरू फेतुल्लाह गुलेन को जिम्मेदार ठहराया गया था।
- तख्तापलट के दौरान तुर्की की संसद अंकारा पर बमबारी की गई और इस्तांबुल में हिंसक झड़पों में करीब ढाई सौ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद आपतकाल का ऐलान किया गया था।
- फतेहुल्लाह गुलेन पहले तुर्की में ही रहते थे लेकिन अब अमेरिका में निर्वासित जीवन व्यतीत रहे हैं।
- इस दौरान आपातकाल की समयसीमा सात बार बढ़ाई गई. आमतौर पर आपातकाल केवल तीन माह के लिए लगाया जाता है।

आधिकारिक आंकड़ों और स्वयंसेवी संस्थाओं के एकत्र किए आंकड़ों के अनुसार आपातकाल के दौरान एक लाख सात हजार लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाला गया है जबकि पचास हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2016 में हुई तख्ता पलटने की कोशिश में सेना के विमानों द्वारा संसद पर बम गिराए गए थे जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

स्रोत: *द हिंदू*

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

❑ केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री किम हियूंन चांग ने 09 जुलाई 2018 को दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये. इस अवसर पर सुरेश प्रभु ने कहा कि यह व्यापारिक समझौते दोनों देशों के रिश्ते को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे।

हस्ताक्षिरत समझौते

(i) सहयोग कार्यक्रम 2018-21

(ii) भविष्य रणनीतिक समूह का गठन

(iii) जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव अर्थव्यवस्था में सहयोग

➢ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टगर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से और दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्री यू यंग मीन ने 2018-21 मे सहयोग कार्यक्रम से संबंधित तीन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये।

➢ दो अन्य सहमति पत्रों पर भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और दक्षिण कोरिया की राष्ट्री य विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद तथा आई आई टी मुंबई और कोरिया के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने हस्तारक्षर किये।

➢ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनता में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने 2018-21 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम को नवीनीकृत किया।

➢ जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि-मत्स्य उत्पादों, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।

➢ भविष्य रणनीतिक समूह की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कोरिया के वाणिज्य मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

➢ भविष्य रणनीतिक समूह दोनों देशों के आर्थिक लाभ के लिए मिलकर योजनाओं को क्रियान्वित करेगा।

➢ भारत और कोरिया ने साइबर फिजिकल सिस्टम, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, कृषि, ऊर्जा, जल और परिवहन पर आधारित भारत-कोरिया संयुक्त नेटवर्क केंद्रों को संयुक्त रूप से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

स्रोतः पीआईबी

यूरोपियन संसद ने यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव रद्द किया

चर्चा में क्यों?

❑ यूरोपियन संसद के कानूनविदों ने 05 जुलाई 2018 को विवादित यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव को रद्द कर दिया. यूरोपियन संसद के सदस्यों ने इसके विपक्ष में 318 वोट दिए जबकि 278 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया। इस मतदान में 31 सदस्य अनुपस्थित रहे।

मुख्य तथ्य

❑ इस प्रस्ताव का प्रमुख तकनीकी कम्पनियों एवं इन्टरनेट फ्रीडम का पक्ष लेने वाले लोगों ने कड़ा विरोध किया है. इस प्रस्ताव के अनुच्छेद 13 का प्रमुखता से विरोध किया जा रहा है।

❑ इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इन्टरनेट पर उपयोगकर्ता द्वारा डाले जाने वाली सामग्री कानूनी रूप से कॉपीराइट की जा सकती है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

प्रस्ताव से सम्बंधित विवादित तथ्य

- यह प्रस्तावित विधेयक जिसे कॉपीराइट डायरेक्टिव्स का नाम दिया गया है, के अंतर्गत कॉपीराइट के प्रावधानों का यूरोपियन यूनियन द्वारा आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है. इसमें दो विवादित भाग शामिल हैं।
- अनुच्छेद 11, इसका उद्देश्य, गूगल एवं फेसबुक जैसी बड़ी कम्पनियों से समाचार पत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है. इसके अनुसार, गूगल एवं फेसबुक समाचार पत्रों को बिना भुगतान किये उनकी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते।
- अनुच्छेद 13, इसका उद्देश्य, इन्टरनेट का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट का अधिकार देना है. इसके अनुसार, यदि उपयोगकर्ता किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी सामग्री, चित्र, साउंड अथवा कोड डालता है तो उस पर उसका कॉपीराइट होगा तथा वेबसाइट को उसे सुरक्षा प्रदान करना उसका उत्तरदायित्व होगा।

कॉपीराइट प्रस्ताव का विरोध क्यों?

- आलोचकों का कहना है कि इससे इंटरनेट की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- कॉपीराइट फिल्टर लगाने से मीम और रीमिक्स जैसी कला को नुकसान होगा।
- आलोचकों का कहना है कि यूट्यूब के कॉपीराइट फिल्टर का खर्च 60 मिलियन डॉलर है यदि अनुच्छेद 13 लागू हो गया तो प्रत्येक वेबसाइट, जहां लिंक शेयर किया गया हो, अलग फिल्टर लगाना होगा जिससे यह एक महंगी एवं जटिल प्रक्रिया बन जायेगा।

स्रोतः द हिंदू

&&&&

ELITE IAS

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

आर्थिक आंकड़ों के संकलन संबंधी नियमों में बदलाव हेतु रविन्द्र ढोलकिया समिति गठित

चर्चा में क्यों?

❑ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लेखा तथा सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्य और जिला स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु 13 सदस्यीय समिति गठित की है।

इस समिति के अध्यक्ष आईआईएम अहमदाबाद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलकिया होंगे।

रविन्द्र ढोलकिया समिति

➢ समिति को राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) और जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) की तैयारी और संशोधित दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण, डेटा सम्मेलनों, डेटा स्रोतों और डेटा आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

➢ समिति केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों और आवश्यकताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश में एसडीपी और डीडीपी में सुधार के उपायों का भी सुझाव देगी।

➢ यह पैनल एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगा।

➢ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद और आईआईपी संख्याओं की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करेगा ताकि अर्थव्यवस्था में बदलावों को अधिकृत किया जा सके।

➢ समिति राष्ट्रीय खाता प्रणाली की जरूरतों विशेषकर आधार वर्ष में संशोधन को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय वार्षिक सर्वेक्षण का सुझाव देगी।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में सांख्यिकीय क्रियाकलापों में समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानक तैयार करता है। इसके प्रमुख महानिदेशक होते हैं, जिनके सहयोग के लिए पांच अपर महानिदेशक होते हैं। इस प्रभाग के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

➢ वर्तमान और स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तिमाही अनुमान तैयार करना।

➢ स्थायी पूंजी के पूंजी स्टॉक और खपत का अनुमान तैयार करना।

➢ निवेश-प्रतिफल व्यवहार तालिका (आईओटीटी) तैयार करना और राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) के तुलनात्मक अनुमान तैयार करना।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

एनपीए की समस्या से निपटने हेतु 'सशक्त' योजना की घोषणा

चर्चा में क्यों?

❑ देश के सरकारी बैंकों के एनपीए अर्थात् नॉन परफॉरमिंग एसेट्स की समस्या को दूर करने के लिए एक समग्र नीति लागू किये जाने की घोषणा की गई है।

मुख्य तथ्य

➢ यह समग्र नीति 'प्रोजेक्ट सशक्त' के नाम से लागू होगी जिसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।

➢ 'सशक्त' योजना के तहत पांच सूत्री फॉर्मूला लागू किया जाएगा. देश में करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के 200 बैंक खाते हैं। इनमें तकरीबन तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज फंसे हैं।

प्रोजेक्ट योजना सम्बंधित प्रमुख तथ्य

➢ पचास करोड़ रुपये तक के फंसे कर्ज खातों के निपटारे के लिए हर बैंक में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इसका फायदा छोटी व मझोली कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा कि उन पर ही 50 करोड़ रुपये तक का एनपीए है।

➢ समिति 90 दिनों के भीतर इन सभी खातों के बारे में फैसला करेगी कि इन्हें और ज्यादा कर्ज देने की जरुरत है या इनके खाते को बंद करने की जरुरत है।

➢ 50 से 500 करोड़ रुपये तक के एनपीए खाता के लिए यह फैसला किया गया है कि उनके बारे में लीड बैंक की अगुवाई में फंसे कर्जे के निपटारे का फैसला किया जाएगा।

➢ इस श्रेणी के खाताधारकों को एक से अधिक बैंक कर्ज देते हैं इसलिए एक कर्ज देने वाले बैंकों के बीच एक समझौता किया जायेगा।

➢ 500 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के अन्य एनपीए खाते जिनका निपटारा एएमसी के जरिए भी नहीं हो सकेगा उन्हें दिवालिया कानून के तहत ही सुलझाया जाएगा।

➢ इसे लागू करने के लिए इन बैंकों की एक स्क्रीनिंग समिति भी गठित होगी जो यह देखेगी कि तय नियमों का पालन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है या नहीं।

सुनील मेहता समिति का गठन

➢ जून 2018 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई में समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता सुनील मेहता को सौंपी गई।

➢ इस समिति को 'बैड बैंक' जैसी संरचना की व्यावहारिकता परखने एवं दो सप्ताह में संपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के गठन के लिए सिफारिश देने के लिए कहा गया।

➢ इस समिति में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार, बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी एस जयकुमार तथा एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक सी वेंकट नागेश्वर शामिल थे।

➢ इस योजना का लाभ यह होगा कि इन ग्राहकों से ऋण वसूलने का झंझट बैंकों पर नहीं रहेगा। गोयल ने बताया कि एएमसी पूरी तरह से बाजार आधारित होंगे और देश में एक से ज्यादा एएमसी का गठन हो सकता है। इसमें देसी-विदेशी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं. यह प्रावधान किया जा रहा है कि एएमसी 60 दिनों के भीतर एनपीए का निपटारा करेंगे।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आंध्र प्रदेश ने 'कारोबार में सुगमता' के मामले में शीर्ष रैंकिंग हासिल की

चर्चा में क्यों?

❑ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा 10 जुलाई 2018 को जारी 2017 की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सूची में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे साल पहले पायदान पर रहा.

मुख्य तथ्य

➢ आंध्र प्रदेश को कुल 98.42 अंक मिले हैं। इस सूची में तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे जबकि मेघालय आखिरी 36वें पायदान पर रहा।

➢ इस सूचि में झारखंड चौथे स्थान पर, गुजरात पांचवें पर, छत्तीसगढ़ छठे, मध्य प्रदेश सातवें, कर्नाटक आठवें, राजस्थान नौवें पर और पश्चिम बंगाल दसवें स्थान पर रहा।

➢ सूची में उत्तराखंड 11वें, उत्तरप्रदेश 12वें, महाराष्ट्र 13वे, उड़ीसा 14वे और तमिलनाडु 15वे स्थान पर रहा।

➢ वर्ष 2016 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रुप से पहले स्थान पर थे. देश में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो और निवेश बढ़ाने के लिए इस रैंकिंग को जारी किया जाता है।

डीआईपीपी के अनुसार सुधार साक्ष्य अंक

➢ डीआईपीपी के अनुसार 17 राज्यों का सुधार साक्ष्य अंक ब्यौरा 90% से अधिक रहा है, जबकि संयुक्त अंक में 15 राज्यों को 90% से अधिक अंक मिले हैं।

➢ जिन राज्यों का सुधार साक्ष्य अंक 80% से अधिक रहा है वह देश के 84% भू भाग, 90% आबादी और देश के सकल घरेलू उत्पाद के 79% का प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रैप 2017 के तहत कुल 7,758 सुधारों को लागू किया गया जिनकी संख्या 2015 में 2,532 थी।

➢ डीआईपीपी, विश्वबैंक के साथ मिलकर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता के आधार पर रैंकिंग करता है। डीआईपीपी कारोबारी क्षेत्र में और सुधार लाने के लिये कारोबार सुधार कार्ययोजना (ब्रैप) के तहत यह करता है।

स्रोतः द हिंदू

केंद्र सरकार ने आयात पर निर्भरता घटाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया

चर्चा में क्यों?

❑ केंद्र सरकार ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में गठित किया गया हैं।

उद्देश्यः

➢ यह टास्क फोर्स आयात पर निर्भरता घटाने के लिए संभावित वस्तुओं के अलावा नीतिगत बदलावों के बारे में अपनी राय देगा. टास्क फोर्स ऐसे उत्पादों का आयात घटाने के बारे में सुझाव देगा, जिनका या तो उत्पादन देश में संभव है या जिनके उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

टास्क फोर्स में शामिल:

- टास्क फोर्स में वाणिज्य, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, कौशल विकास, राजस्व, रक्षा उत्पादन, स्टील, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकम्यूनिकेशंस विभागों के सचिवों को शामिल किया गया है।

कदम का महत्व

- सरकार का यह कदम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, उपकरण, दवाओं के अवयव, सोना और रसायन जैसे कई महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है।
- औसतन भारत का आयात करीब 450 अरब डॉलर प्रति वर्ष है. वित्त वर्ष 2017-18 में आयात करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 460 अरब डॉलर रहा. पिछले वित्त वर्ष में तेल आयात 25.47 प्रतिशत बढ़कर 109.11 अरब डॉलर रहा।
- कारोबारी विशेषज्ञों ने दवाओं के अवयव अर्थात् एपीआई के आयात के मामले में चीन पर निर्भरता को लेकर चिंता जताई है. वर्तमान में देश के एपीआइ आयात में चीन की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से ज्यादा है. आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार को उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: विश्व बैंक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चुनिंदा भरोसेमंद अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं
- रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को पछाड़कर भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। विश्व बैंक के 2017 के ताजा जारी आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी है।

भारतीय संदर्भ में विश्व बैंक की रिपोर्ट

- भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है. यह उपलब्धि भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हासिल की है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस की 2.582 खरब डॉलर की जीडीपी की तुलना में भारत की जीडीपी 2.597 खरब डॉलर हो गई है।
- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश भारत 2032 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।
- भारत की अर्थव्यवस्था लगातार वृद्धि कर रही है क्योंकि इसमें अभी विकास की प्रबल संभावनाएं बाकी हैं।

रैंकिंग में सुधार का कारण

- रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते विकास दर कई तिमाहियों में गिरावट के बावजूद जुलाई 2017 से लगातार बढ़ रही है।
- रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी और जीएसटी लागू किए जाने के बाद बाजार में कुछ समय के लिए मंदी तो आई, लेकिन अब विनिर्माण और लोगों की खरीद क्षमता बढ़ती दिख रही है जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आया है।
- हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में अब भी भारत फ्रांस के मुकाबले करीब 20 गुना पीछे है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

वैश्विक संदर्भ में रिपोर्ट

- विश्व बैंक की रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की अर्थव्यवस्था पहले स्थान पर है।
- इस रिपोर्ट में चीन को दूसरा रैंक हासिल हुआ है. चीन के बाद जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस रिपोर्ट में शामिल हैं।
- वर्ष 2017 के अंत तक ब्रिटेन विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था. उस समय ब्रिटेन की जीडीपी 2.622 ट्रिलियन डॉलर थी।

स्रोतः द हिंदू

अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत का स्तर बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिका ने भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए-1) देश का दर्जा देकर उसके लिए हाई-टेक प्रॉडक्ट्स की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण में छूट प्रदान की।

मुख्य तथ्य

- वर्ष 2016 में भारत को अमेरिका के 'प्रमुख रक्षा सहयोगी' के रूप में मान्यता मिलने के बाद उसे एसटीए-1 का दर्जा हासिल हुआ है।
- भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है।

अमेरिकी घोषणा के मुख्य बिंदु

- निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत की स्थिति में यह 'एक महत्वपूर्ण बदलावश है.' एसटीए-1 दर्जा भारत-अमेरिका के सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को 'मान्यता' देता है।
- यह दर्जा वाणिज्य नियंत्रण सूची (सीसीएल) में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात, पुनः निर्यात और हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- वर्तमान में इस सूची में 36 देश हैं जिनमें ज्यादातर नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) में शामिल देश है।
- भारत इसमें शामिल होनेवाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। अन्य एशियाई देशों में जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

भारत को होने वाले लाभ

- भारत-अमेरिका से अत्याधुनिक और संवेदनशील प्रौद्योगिकी खरीदने में अधिक आसानी होगी।
- इससे द्वीपक्षीय सुरक्षा व्यापार रिश्ते को विस्तार मिलेगा, जिसके परिणास्वरूप भारत में अमेरिका से होनेवाले निर्यात में वृद्धि होगी।
- एसटीए-1 से भारत को सुरक्षा एवं दूसरी हाई-टेक प्रॉडक्ट्स का और बड़ा नेटवर्क हासिल होगा जिससे विभिन्न अमेरिकी तंत्रों के साथ उसकी गतिवधियां बढ़ेंगी, दोनों देशों के सिस्टम के बीच पारस्परिकता की वृद्धि होगी और लाइसेंसों की स्वीकृति में समय और संसाधनों की बचत होगी।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

दिल्ली सरकार ने सोलर योजना लॉन्च की

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली सरकार मंत्रिमंडल ने 24 जुलाई 2018 को सोलर योजना की घोषणा की जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ सस्ती दर पर बिजली प्राप्त भी हो सकेगी।
- इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना' है जिसे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पारित किया।

योजना के प्रमुख तथ्य

- इस योजना के तहत निजी कंपनियां किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाएंगी।
- यह पैनल एक एकड़ खेत के एक तिहाई हिस्से में लगाया जाएगा और यह पैनल जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा, जिससे उस हिस्से में होने वाली खेती प्रभावित ना हो।
- इस पैनल के लिए निजी कंपनी किसान को किराए के रूप में एक लाख रुपये सालाना का भुगतान करेगी और इस किराए में हर साल 6 फीसदी का इजाफा होगा।
- किसान और निजी कंपनियों के बीच 25 साल के लिए अनुबंध होगा।
- इससे किसान को पहले साल एक लाख रुपये किराए के रूप मिलेंगे और 25वें साल में 4 लाख रुपये. किराए के साथ किसान को 1000 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी।

सरकार को लाभ

- किसान के खेत में तैयार होने वाली बिजली को दिल्ली सरकार 4-5 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी।
- सरकार अभी तक 9 रुपये यूनिट की दर से बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदती है।
- इस योजना के शुरू होने से दिल्ली सरकार को हर साल करीब 400 करोड़ रुपये तक की बचत होगी और दिल्लीवासियों को स्वच्छ उर्जा प्राप्त होगी।
- सभी कागजी कारवाई आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 से 10 महीने के अंदर यह योजना शुरू हो जाएगी।

शहीद सम्मान योजना

- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा शहीद सम्मान योजना भी आरंभ की गई. इस योजना पर उप-राज्यपाल ने रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत शहीद के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाएगी। सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों, अग्नि सेवा, होम गार्ड और जिला आपदा बल कर्मियों सहित सशस्त्र बलों की सभी तीन सेवाओं के दिल्ली स्थित सुरक्षाकर्मियों की किसी घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

बिहार में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- इस कार्यक्रम के तहत किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा डायरेक्ट ऑनलाइन हस्तांतरण होगा। आपदाओं के समय किसान संकट से जूझता है अत: सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।

मुख्य तथ्य:

- फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है। आज नई तकनीक का चयन किया गया है जिसके द्वारा रजिस्टर्ड किसानों को बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा हस्तांतरित किया जायेगा।
- अभी 1100 किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है. पहले किसानों को डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए जहां तीन महीने का समय लगता था अब किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया से अधिक से अधिक 25 दिनों में डीजल अनुदान का पैसा मिल जायेगा.
- जिले के कृषि पदाधिकारी, प्रखंड के कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार एक कैंपेन चलाकर प्रत्येक गांवों में किसानों के घर-घर पहूँचकर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ चलायी जा रही योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी देंगे।
- उन्हें केंद्र पर ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं साथ ही आधार से उनका खाता लिंक कराएं जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- फिलहाल 4 जिलों में किसानों को सब्जी की जैविक खेती के लिए इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। अब इसे अन्य जिलों में दूसरी फसलों के लिए भी लागू करने की योजना है।

डीजल सब्सिडी:

बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है. अब डीजल पर 40 की जगह 50 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में मंत्रियों और अधिकारियों की हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया।

प्रति यूनिट बिजली दर:

बिहार सरकार ने कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली का दर 96 पैसे से घटाकर 75 पैसा कर दिया है। यह दर सरकारी और निजी दोनों ट्यूबबेल के लिए होगी। सब्सिडी पर सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी। खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की समयसीमा भी 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का 69वां शेयरधारक बना

चर्चा में क्यों?

- भारत औपचारिक रूप से 11 जुलाई 2018 को यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) का 69वां शेयरधारक बन गया है।
- इससे बैंक के संचालन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ और अधिक संयुक्त निवेश का रास्ता साफ हो गया है। सदस्यता से जुड़ी सारी प्रक्रिया इस सप्ताह पूरी हो गई थी।

मुख्य तथ्य:

- भारत सरकार ने दिसंबर 2017 में ईबीआरडी सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
- सदस्यता के नेतृत्व में, ईबीआरडी ने जून 2018 में मुंबई में अपना उद्घाटन व्यापार मंच आयोजित किया।
- यह ईबीआरडी के कार्य क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त निवेश में वृधि करेगा।

प्रभाव

- ईबीआरडी की सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में और अधिक निखार आएगा तथा इसके आर्थिक हितों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- ईबीआरडी के संचालन वाले देशों तथा उसके क्षेत्र ज्ञान तक भारत की पहुंच निवेश तथा अवसरों को बढ़ाएगी।
- भारत के निवेश अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी.इस सदस्यता से विनिर्माण, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सह-वित्तपोषण अवसरों के जरिए भारत और ईबीआरडी के बीच सहयोग के अवसर बढेंगे।
- ईबीआरडी के महत्वपूर्ण कार्यों में अपने संचालन के देशों में निजी क्षेत्र का विकास करना शामिल है।
- इस सदस्यता से भारत को निजी क्षेत्र के विकास को लाभान्वित करने के लिए बैंक की तकनीकी सहायता तथा क्षेत्रीय ज्ञान से मदद मिलेगी।
- इससे देश में निवेश का माहौल बनाने में योगदान मिलेगा।
- ईबीआरडी की सदस्यता से भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ेगी और व्यापार के अवसरों, खरीद कार्यकलापों, परामर्श कार्यों आदि में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी।
- इससे एक ओर तो भारतीय पेशेवरों के लिए नए क्षेत्र खुलेंगे और दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा।
- बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से रोजगार सृजन क्षमता में विस्तार होगा.इससे भारतीय नागरिक भी इस बैंक में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी):

- ईबीआरडी एक बहुपक्षीय विकास निवेश बैंक है।
- जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप में निजी और उद्यमशीलता अभियान को बढ़ावा देने के लिए 1991 में इस बैंक की स्थापना की गई थी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- बैंक का मुख्यालय लंदन में है। यह बैंक 38 उभरती हुई अर्थव्यस्थाओं में निवेश करता है।
- यह पहले पूर्व साम्यवादी राज्यों को शीत युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता करता था बाद में 30 से अधिक देशों में मध्य यूरोप से मध्य एशिया तक विकास से जुडी सहायता करने के लिए इसका विस्तार किया गया।
- यह उन देशों में ही काम करता है जो बाजार अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए उपकरण के रूप में निवेश का उपयोग करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए काम करते हैं।

स्रोतः द हिंदू

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत 57वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) की सूची में भारत 57वें नंबर पर है, पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था। भारत की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है. वर्ष 2015 में यह 81वें स्थान पर था।
- चीन विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह सालाना रैंकिंग कॉर्नेल विश्वविद्यालय, आईएनएसईएडी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा 10 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई।

मुख्य तथ्यः

- स्विटजरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में शीर्ष स्थान पर बरकरार है।
- मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है. जबकि दुनिया भर की रैंकिंग में भारत 57वें स्थान पर है।
- भारत ने कई महत्वपूर्ण सूचकांकों की रैंकिंग में सुधार किया है. उत्पादकता वृद्धि और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं के निर्यात क्षेत्र में भी उसने रैंकिंग सुधारी है।
- पिछले साल (वर्ष 2017) की रैंकिंग में भारत और तीन स्थान नीचे 60 पर था. मध्य और दक्षिण एशिया में भारत के बाद दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान है।
- जीआईआई 2018 के शीर्ष 10 देशों में स्विटजरलैंड के बाद नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और आयरलैंड शामिल हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 5 देशः

1. स्विट्जरलैंड,
2. नीदरलैंड,
3. स्वीडन.
4. यूनाइटेड किंगडम
5. सिंगापुर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई):

- जीआईआई में 80 संकेतकों पर 126 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग की गई, जिसमें बौद्धिक संपदा फाइलिंग दर से लेकर मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण, शिक्षा खर्च और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों तक को शामिल किया गया।
- चीन इस साल (वर्ष 2018) इस रैंकिंग में 17वें स्थान पर रहा, जोकि उसकी अर्थव्यवस्था की सफलता दर्शाती है। वहां की सरकार की नीतियों में शोध और विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जीआईआई इंडेक्स के अनुसार मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत सबसे इनोवेटिव देश है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

चीन ने भारत से आयात होने वाली दवाइयों पर टैक्स घटाया

चर्चा में क्यों?

- भारत और चीन भारतीय दवाओं खासतौर पर कैंसर की दवाओं पर चीन में आयात पर लगने वाले सीमा-शुल्क (टैरिफ) में कटौती पर सहमत हुए हैं।

मुख्य तथ्य

- यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वह लंबे समय से चीन से औषधि और आईटी सेक्टर के दरवाजे उसके लिए खोलने की मांग करता रहा है।
- व्यापार युद्ध के बाद से चीन अब तक 8500 भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी कर चुका है। चीन के अमेरिका से व्यापार युद्ध तेज होने के साथ भारत और अन्य देशों के उत्पादों पर आयात शुल्क में और कटौती करेगी।

पृष्ठभूमि:

- चीन में हर साल करीब 43 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं. भारतीय दवाओं विशेषकर कैंसर की दवाओं की चीन में बड़ी मांग हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती हैं।
- चीन ने भारत से पांच लाख गांठों का आयात करने का अनुबंध किया है. दरअसल, चीन ने अमेरिका से आयातित कपास पर 25 प्रतिशत का शुल्क लगाया है। सितंबर 2018 तक भारत का कपास निर्यात 21 प्रतिशत तक उछलकर 70 लाख गांठ पर पहुंचने के आसार हैं।
- चीन ने जून 2018 में ही भारत से आयातित अन्य उत्पादों जैसे रसायन, कृषि उत्पादों, मेडिकल उपकरणों, कपड़ों, स्टील-एल्युमिनियम पर भी सीमा शुल्क घटाया था।

एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता:

- एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए), संयुक्त राष्ट्र के एशिया-प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के अंतर्गत एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सदस्य माने जाने वाले विकासशील देशों के बीच शुल्क (टैरिफ) रियायतों के आदान-प्रदान के जरिये व्यापार का विस्तार करना है।
- यह वर्ष 1975 से ही प्रभावी है। एपीटीए एक वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत विभिन्न वस्तुओं के बास्केट के साथ-साथ शुल्क रियायतों की सीमा को भी समय-समय पर होने वाली व्यापार वार्ताओं के दौरान बढ़ाया जाता है।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस**

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा ,वं स्वास्थ्य

पिच ब्लैक युद्धाभ्यास

चर्चा में क्यों?

- आस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास पिच ब्लैक-2018 में भारत वायुसेना पहली बार भाग लेने जा रहा है।

मुख्य तथ्य

- इस वायुसैनिक अभ्यास में भारत अपना लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई के अलावा हर्क्यूलस और ग्लोब मास्टर विमानों को भी उतार रहा है।
- यह युद्धाभ्यास 27 जुलाई 2018 से 17 अगस्त 2018 तक चलेगा।
- यह पहला अवसर है जिसमें भारतीय वायुसेना दल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रहा है।
- पूरे विश्व के 100 से अधिक विमान इस अभियास कार्यक्रम में शामिल होंगे और वायु योद्धाओं को युद्ध जैसी परिस्थिति में संचालन का अनूठा अवसर प्रदान करेंगे।

महत्व:

- राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से अच्छे द्विपक्षीय संबंध रहे हैं. दोनों देशों की वायु सेनाओं ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था।
- एसयू -30 एमकेआई विमान ने समुद्र पार करके हमारी रणनीतिक पहुंच और व्यावसायिकता को प्रदर्शित किया है.
- गगन शक्ति अभ्यास 2018 के तहत भारतीय वायुसेना ने इंडोनेशिया और मलेशिया की वायु सेनाओं के साथ अभ्यास किया था. अब भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के साथ पहली बार पिच ब्लैक-18 अभ्यास में भाग ले रही है। यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को दर्शाता है।

पिच ब्लैक युद्धाभ्यास:

- पिच ब्लैक युद्धाभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (आरएएएफ) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक रोजगार युद्ध अभ्यास है।
- भारतीय वायुसेना के मुताबिक दल पश्चिम बंगाल में वायुसेना स्टेशन, कालीकुंडा में इकट्ठा होगा और 27 जुलाई 2018 को इंडोनेशिया के रास्ते से अभ्यास के लिए प्रस्थान करेगा. दल का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन सीयूवी राव करेंगे।
- इस दौरान आइएएफ की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण में अनुरूपित वायु युद्ध अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं के आपसी आदान-प्रदान का लक्ष्य रखेगा।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी प्रदान की

चर्चा में क्यों?

- भारत में लंबे समय से नेट न्यूट्रैलिटी की मांग की जा रही है जिसके तहत 11 जुलाई 2018 को भारत सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी प्रदान की। ट्राई द्वारा जारी सिफारिशों की सूची में कुछ समय पूर्व ही नेट न्यूट्रैलिटी को लागू किये जाने की सिफारिश की गई थी।
- ट्राई की इस सिफारिश को दूरसंचार आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। दूरसंचार आयोग के इस आयोग में विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिनिधि शामिल हैं।

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?

- इसके तहत किसी भी इंटरनेट प्रदाता से कोई भी उपभोक्ता एक जैसी ही स्पीड पर हर तरह का डेटा एक्सेस कर सकता है। अर्थात् इंटरनेट पर ऐसी आजादी जिसमें स्पीड या एक्सेस को लेकर किसी तरह की कोई रुकावट न हो।
- किसी भी इंटरनेट प्रदाता को अपने नेटवर्क पर जानबूझकर किसी वेबसाइट या फिर किसी वेब कंटेंट को ब्लॉक या धीमा नहीं करना होगा।

नेट न्यूट्रैलिटी का फायदा

- नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत के बाद कोई कंपनी इंटरनेट सुविधा देने में कोई भेदभाव नहीं कर पाएगी।
- प्राथमिकता के आधार पर किसी रुकावट को भी गैरकानूनी माना जाएगा।
- रूकावट डालने पर जुर्माना भी लग सकता है और सख्त कार्रवाई होगी।
- ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया कंपनियों सब पर लागू होगा।
- इस फैसले के बाद इंटरनेट सेक्टर में किसी एक ऑपरेटर का वर्चस्व भी संभव नहीं रह जाएगा।
- इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे रिमोट सर्जरी एवं स्वचालित कर जैसी सुविधाओं को बाहर रखा जायेगा।

इस कदम का महत्व

- डिजिटल बुनियादी ढांचा आज भौतिक बुनियादी ढांचे के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा प्रदाताओं के बीच ऐसे किसी प्रकार के समझौतों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है जिससे इंटरनेट पर सामग्री को लेकर भेदभाव न हो. मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये आयोग ने नई दूरसंचार नीति श्राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018श को भी मंजूरी दे दी है।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी फेलोशिप एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम आरंभ किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने शहरी योजना और प्रशासन के क्षेत्र में युवाओं के लिए 09 जुलाई 2018 को इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप (आईएससीएफ) और इंटर्नशिप (आईएससीआई) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
- इसका उद्देश्य स्मार्ट सिटीज को प्रोत्साहित करके 'डिजिटल इंडिया' को बढ़ावा देना और भारत के शहरी निवासियों के जीवन को सरल बनाना है। इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप (आईएससीएफ) कार्यक्रम, इंडिया स्मार्ट सिटीज इंटर्नशिप (आईएससीआई) कार्यक्रम और स्मार्ट सिटीज डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018 तथा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 'सिटीज' चौलेंज शामिल हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप (आईएससीएफ) कार्यक्रम

- इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप (आईएससीएफ) कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषकर स्मार्ट सिटी और सामान्य रूप से शहरी नवीकरण क्षेत्र में इच्छुक युवाओं को मूल्यवान अनुभव प्रदान करना है।
- यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण शहरी समस्याओं के आधुनिक एवं व्यापक प्रभाव वाले समाधानों को क्रियान्वित करने के चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक कार्य में नए विचार, जुनून एवं ऊर्जा सुनिश्चित करेगा।
- यह कार्यक्रम युवा मार्गदर्शकों (लीडर) को तैयार करेगा, भारतीय शहरी क्षेत्र के बारे में उनकी समझ को मजबूत करेगा और भविष्य में ज्यादा बड़ी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उन्हें तैयार करेगा।
- इच्छुक आवेदक स्मार्ट नेट (https@@smartnet-niua-org) के जरिए 31 अगस्त, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की जांच करने एवं उन्हें चयनित करने का काम चयन समिति करेगी।

स्मार्ट सिटी डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018

- इन पुरस्कारों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और अपने-अपने शहरों में अभिनव डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी का मार्गदर्शन एवं प्रेरित करना, मान्यता देना और उन्हें पुरस्कृत करना है.

शहरों की श्रेणी	आबादी
श्रेणी 1	5 लाख से कम
श्रेणी 2	5-10 लाख
श्रेणी 3	1 मिलियन से 4 मिलियन
श्रेणी 4	4 मिलियन से अधिक

इंडिया स्मार्ट सिटीज इंटर्नशिप (आईएससीआई) कार्यक्रम

- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय विभिन्न राज्यों/शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद हेतु स्नातक पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएं 'इंटर्न' के रूप में लेगा।
- इंटर्नशिप के दौरान 6 से 12 हफ्तों तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- कार्यक्रम के सफल समापन पर उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- इन इंटर्न को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास के अनेक क्षेत्रों में आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी जिनमें शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन, इंजीनियरिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे शामिल है।
- इच्छुक आवेदक स्मार्ट नेटनेट (https@@smartnet-niua-org) के जरिए साल में कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्रोतः द हिंदू

ब्रह्मोस मिसाइल का खराब मौसम में भी सफल परीक्षण किया गया

चर्चा में क्यों?

- सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का 16 जुलाई 2018 को सफल परीक्षण किया गया. यह परीक्षण ओडिशा से किया गया. इस परीक्षण की खास बात यह रही कि मिसाइल का परीक्षण खराब मौसम में किया गया।
- युद्ध के दौरान के हालातों को देखते हुए खराब मौसम में मिसाइल का परीक्षण किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर किया गया। बालासोर ओडिशा के चांदीपुर टेस्टक रेंज पैड नंबर 3 से मिसाइल को छोड़ा गया था। ब्रह्मोस मिसाइल ने सफलतापूर्वक निशाने पर सटीक वार किया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

ब्रह्मोस मिसाइल:विशेषताएं

- भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम परियोजना के तहत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल 290 किमी तक की दूरी तक प्रहार कर सकेगी।
- यह अपने साथ 200 किलोग्राम परमाणु प्रक्षेपास्त्र ले जाने में सक्षम है।
- यह ध्वनि की दोगुनी गति से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है. इसमें ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है।
- मिसाइल की परिधि 670 मिली की है और लगभग तीन टन वजनी यह मिसाइल जमीन के निकट भी प्रहार कर सकती है।
- ब्रह्मोस को विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है जिसे जल, थल एवं वायु सभी स्थानों से दागा जा सकता है।

पृष्ठभूमि

- ब्रह्मोस डीआरडीओ और रूस की एनपीओएम का एक संयुक्त उपक्रम है. यह मिसाइल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल की जा चुकी है।
- ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है. रूस इस परियोजना में प्रक्षेपास्त्र तकनीक उपलब्ध करवा रहा है और उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत के द्वारा विकसित की गई है।

स्रोत: द हिंदू

चीन ने अरुणाचल-तिब्बत बॉर्डर के नजदीक मानवरहित मौसम अवलोकन केंद्र स्थापित किया

चर्चा में क्यों?

- चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट तिब्बत में मानवरहित स्वचालित मौसम अवलोकन केंद्र की स्थापना की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में देश की सेना, विमानों और मिसाइलों के संचालन में मौसम संबंधी मदद के लिए इस स्टेशन की स्थापना की है।
- तिब्बत के शाननान परिक्षेत्र के अंतर्गत ल्हुंजे के युमई में इस केंद्र की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय मौसम युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और टेक-ऑफ और मिसाइल के लॉन्च के लिए काफी अहम माना जाता है। ऐसे में छोटे मौसम केंद्र काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

मानवरहित मौसम अवलोकन केंद्र की विशेषताएं

- यह मौसम अवलोकन केंद्र सीमा के विकास, सैनिकों और नागरिकों में सामंजस्य स्थापित करने में मददगार साबित होगा।
- यह स्टेशन एयर टेंपरेचर, एयर प्रेशर, हवा की गति, दिशा, उमस और बारिश जैसी चीजों के बारे में जानकारी देने में सक्षम होगा।
- यह मौसम केंद्र युमई सीमा पर स्थित है इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह स्टेशन यातायात और संचार से जुड़े डेटा उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा।
- इस स्टेशन से सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले हलचल पर भी नजर बनाए रखी जा सकेगी।
- इस मौसम अवलोकन केंद्र के निर्माण की शुरुआत 2018 में ही हुई थी और जून के महीने में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया।
- केवल नौ घरों और 32 निवासियों वाला युमई चीन का जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा शहर है. यह हिमालय की दक्षिणी तलहटी में स्थित है और हिंद महासागर की वजह से मौसम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। माना जा रहा है कि दूसरे स्थानों से जोड़ने के लिए यमुई में पहली सड़क साल 2017 से बन रही है। जब यह सड़क पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी तो यहां और भी मौसम अवलोकन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मध्यप्रदेश में 'आयुष्मान भारत' योजना लागू

चर्चा में क्यों?

❑ मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की 'आयुष्मान भारत' योजना 15 अगस्त 2018 से लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्व:

➢ इस योजना से राज्य में साढ़े 5 करोड़ से अधिक सदस्य के लाभान्वित होने का दावा किया गया जा रहा है।

➢ इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पात्रता पर्ची वाले सभी परिवारों को भी दिया जायेगा।

➢ इस योजना का लाभ शासकीय और निजी चिकित्सालयों के माध्यम से कैशलेस रूप में दिया जाएगा. इससे शासकीय अस्पतालों को उन्नत किया जा सकेगा और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

➢ योजना के लागू होने पर प्रदेश के नागरिकों पर उपचार पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

➢ योजना में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर वंचित श्रेणी के 84 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

➢ योजना में प्रति परिवार 1200 रुपये की दर से कुल 1648 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है. एसईसीसी के 84 लाख परिवारों के लिये 600 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करेगी, लगभग 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

आयुष्मान भारत योजना

➢ आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रस्तावित योजना है।

➢ वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2018 के बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की।

➢ इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।

➢ इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।

➢ इस योजना प्रत्यक्ष 10 करोड़ बीपीएल धारक लाभ उठा सकेगें।

➢ इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है।

➢ यह पहली स्वास्थ सुविधा होगी जिसके द्वारा पुरे परिवार को स्वास्थ लाभ दिया जायेगा।

➢ इस योजना के लागू होने के पश्चात गरीब व्यक्ति भी बीमारी या अन्य किसी स्थिति में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कर पायेंगे, ऐसी स्थिति में पैसो की कमी उनके स्वास्थ्य के आड़े नहीं आयेगी।

स्रोत: लाइव मिन्ट

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

चर्चा में क्यों?

❑ विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूरे विश्व में 28 जुलाई 2018 को मनाया गया. यह दिवस लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है।

मुख्य तथ्य

➢ हेपेटाइटिस से प्रत्येक वर्ष लगभग 14 लाख लोगों की मृत्यु होती है. वर्ष 2018 के लिए इस दिवस का विषय "टेस्ट. ट्रीट. हेपेटाइटिस" (Test- Treat- Hepatitis) है।

➢ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना है। लोगों में जागरुकता न होने के कारण लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण यह बीमारी बढ़ती जाती है।

➢ हेपेटाइटिस होने पर ये शरीर में कई तरह अन्य दिक्कतों का भी कारण बनती है. हाल ही में आए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों में हेपेटाइटिस का असर उनकी फर्टिलिटी पर पड़ता है।

➢ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 36 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस के गंभीर वायरस से संक्रमित है। भारत में 4 करोड़ लोग इस वायरस के संक्रमण से घिरे हुए हैं. ये सभी हेपेटाइटिस बी के वायरस से इंफेक्टेड हैं।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस:

➢ विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा चिह्नित किए गए 8 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है।

➢ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर यह दिवस मनाने की घोषणा की.

➢ इससे पहले क्रोनिक वायरल हैपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु वर्ल्ड हेपेटाइटिस एलायंस ने वर्ष 2008 में अभियान चलाया था।

➢ 28 जुलाई प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और उन्हें वर्ष 1976 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

हेपेटाइटिस के बारे में:

➢ हेपेटाइटिस ग्रीक शब्द 'हेपर' और 'आईटिस' से बना है. 'हेपर' का अर्थ होता है 'यकृत' और 'आईटिस' का अर्थ है सूजन. हेपेटाइटिस के पांच प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस- ए, बी, सी, डी और ई।

➢ विश्व की जनसंख्या के एक तिहाई लोग हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित है। हेपेटाइटिस वायरस का संचरण संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में जाने से होता है।

➢ हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाली यह एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी संक्रमित करती है, जिसके वजह से लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है।

➢ हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है, जिसे यकृत के ऊतकों में सूजन वाली कोशिकाओं की मौजूदगी से पहचाना जाता हैं।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अटल नवाचार मिशन और माईगव ने 'इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लांच किया

चर्चा में क्यों?

- अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और माईगव ने 26 जुलाई 2018 को 'इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लांच किया।
- अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक आर.रमणन और माईगव के सीईओ अरविंद गुप्ता ने 'रुइनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लांच किया। जो अटल नवाचार मिशन और भारत सरकार के नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म 'माईगव' के बीच गठबंधन है।

मुख्य तथ्य:

- इनोवेट इंडिया पोर्टल देश में होने वाले समस्त अभिनव कदमों के लिए एक साझा केंद्र के रूप में काम करेगा।
- इनोवेट इंडिया माईगव-एआईएम पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी एवं गहन तकनीक वाले अन्वेषकों दोनों को ही पंजीकृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक नवाचार प्लेटफॉर्म का सृजन करता है।
- ऐसे लोग जो किसी महत्वपूर्ण नवाचार की तलाश में हैं वे अर्थव्यवस्था के फायदे के साथ-साथ राष्ट्रीय सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस पोर्टल से लाभ उठा सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएं:

- यह प्लेटफॉर्म सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला हुआ हैं।
- इसके उपयोगकर्ता (यूजर) इनोवेट इंडिया पोर्टल पर एकत्रित नवाचारों को देख सकते हैं, टिप्पणी एवं साझा कर सकते हैं और इसके साथ ही इनकी रेटिंग भी कर सकते हैं।
- लीडरबोर्ड का अवलोकन कर सकते हैं, जिसकी गणना प्रत्येक नवाचार को मिले वोटों के आधार पर की जाती है।
- नागरिक माईगव वेबसाइट पर लॉग-इन करके अपने/संगठन/किसी और के नवाचार को इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं।
- इन नवाचारों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर भी साझा किया जा सकता है।
- इस प्लेटफॉर्म को लांच करने के साथ ही भारत के लोग अब अपने/संगठन के नवाचार को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड एवं उसकी रेटिंग करने में समर्थ हो जाएंगे।
- नागरिक https@@innovate-mygov-in@innovateindia@ के जरिए प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं।

अटल नवाचार मिशन:

- अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है।
- अटल नवाचार मिशन निदेशालय की स्थापना में संकेंद्रित तरीके से मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी.
- अटल नवाचार मिशन के तहत एक ऐसे सहयोगात्मक परितंत्र की परिकल्पना की गई है जिसके तहत विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक एवं औद्योगिक साझेदार आपस में सहयोग कर नवाचार को सुविधाजनक बनाएंगे, वैज्ञानिक सोच के साथ-साथ आज के बच्चों में उद्यमिता की भावना को भी बढ़ावा देंगे और जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक योगदान करेंगे।

माईगव (MyGov) पोर्टल क्या है?

- माईगव (MyGov) भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका शुभारंभ 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
- इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बंटाने के माध्यम के रूप में कार्य करना है।

- माईगव नागरिकों को अनेक विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श में भाग लेने का अवसर देता है तथा अनेक लोगों के साथ विचारों के आदान-प्रदान का मौका देता है।
- नागरिक इस मंच पर कागजात, केस स्टडी, चित्र, वीडियो और अन्य कार्य योजनाएं अपलोड कर सकते हैं। वे ऐच्छिक रूप से विविध कार्य कर सकते हैं और अपनी प्रविष्टियां जमा करा सकते हैं।
- राष्ट्रीय सूचना केंद्र -एनआईसी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस पोर्टल का प्रबंधन करेंगे।
- जो लोग विचार-विमर्श से आगे बढ़कर जमीनी योगदान देना चाहते हैं उनके लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल अनेक अवसर देता है। नागरिक विभिन्न कायों के लिए स्वयं आगे बढ़ सकते हैं और अपनी प्रवृष्टियां दे सकते हैं।

स्रोतः द हिंदू

नासा सूर्य के अध्ययन हेतु पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च करेगा

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा सबसे महत्वकांक्षी मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है. नासा यह मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए अन्तरिक्ष में भेजेगा।
- नासा के इस मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब मिशन है जिसे 6 अगस्त को रवाना किया जाएगा. यह अंतरिक्षयान सूर्य के बेहत करीब पहुंचकर उसका अध्ययन करेगा. इस स्पेसक्राफ्ट को अमेरिकी वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर रखा गया है।

पार्कर सोलर प्रोब की विशेषताएं

- नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब मिशन पर लगभग 1.5 अरब डॉलर (10 हजार करोड़ रुपए) का खर्च किया जा रहा है।
- यह यान 2024 में सूरज की कक्षा में पहुंचेगा, जिसके बाद यह अगले एक वर्ष तक उसके समीप रहकर जानकारियां जुटाएगा।
- नासा इस यान को सूर्य से सिर्फ 61 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करेगा।
- इसका आकार एक छोटी कार के बराबर है और यह 9.10 फीट लंबा है।
- इसका वजन 612 किलो है।
- खास उपकरणों से लैस प्रोब सूर्य की नजदीक से कई तस्वीरें लेगा।
- पार्कर प्रोब इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र, कोरोना प्लाज्मा और वातावरण में मौजूद कणों का अध्ययन भी करेगा।

मिशन के विशेष पहलू

- पार्कर सोलर प्रोब एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है. इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया जाएगा।
- यह अंतरिक्ष यान दूसरे यानों की तुलना में सूर्य के सात गुना ज्यादा करीब जाएगा।
- इस अध्ययन से वैज्ञानिक धरती के वातावरण में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकेंगे।
- पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ कई उपकरणों को लेकर जा रहा है जो सूर्य एवं उसके आस-पास के क्षेत्र का अध्ययन करेगा।

मिशन चुनौतीपूर्ण क्यों है?

- इस मिशन को नासा समेत तमाम खगोल विशेषज्ञ जोखिम भरा मान रहे हैं, क्योंकि इस भाग का तापमान सूर्य की सतह से भी ज्यादा होता है।
- सूर्य का तापमान करीब छह हजार डिग्री सेल्सियस है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी और नासा ने मिलकर वर्ष 1976 में सूर्य के सबसे करीब हेलिअस-2 नामक प्रोब भेजा था।
- यह सूरज से 4.30 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा था। धरती से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है।

स्रोत: द हिंदू

आईएनएस तरंगिनी 'टॉल शिप रेसेस-2018' में शामिल होने हेतु सुंदरलैंड पहुंचा

चर्चा में क्यों?

- आईएनएस तरंगिनी जहाज अपनी लोकायन-18 समुद्री यात्रा के दौरान सातवें बंदरगाह ब्रिटेन के सुंदरलैंड पहुंचा, जहां यह प्रतिष्ठित 'टॉल शिप रेसेस-2018' में शामिल होगा।
- यह जहाज भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैनिक कमान के तहत कोच्चि आधारित पहले प्रशिक्षण दल का हिस्सा है।

तरंगिनी नाम:

- जहाज का यह तरंगिनी नाम हिन्दी शब्द तरंग से जुड़ा है, जिसका मतलब लहर होता है, इस तरह तरंगिनी का मतलब वह जो लहरों की सवारी करे।

लोकायन का मतलब:

- लोकायन संस्कृत शब्द 'लोक्या' मतलब पूरी दुनिया और 'यान' मतलब यात्रा शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ दुनिया की यात्रा करना है।

आईएनएस तरंगिनी:

- आईएनएस तरंगिनी भारतीय नौसेना का वह पहला जहाज है, जो वर्ष 2003-04 में पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुका है।
- यह वर्ष 2007, वर्ष 2011 और वर्ष 2015 में दुनिया भर में आयोजित टॉल शिप रेसेस में शामिल हो चुका है।
- अपनी 21 साल की सेवा में आईएनएस तरंगिनी लोकायन-18 के साथ एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है।
- तीन मस्तूलों वाला आईएनएस तरंगिनी को वर्ष 1997 में भारतीय नौसेना के लिए जहाज चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था. इसका निर्माण ब्रिटेन के नेवल आर्किटेक्ट कोलिन मुडी की डिजाइन के आधार पर गोवा में किया गया था।

आईएनएस तरंगिनी की 'लोकायन-18':

- आईएनएस तरंगिनी की 'लोकायन-18' की शुरूआत 10 अप्रैल 2018 को कोच्चि से हुई थी, जिसे 20 हजार नॉटिकल मिल की दूरी तय करनी है।
- यह समुद्री यात्रा सात महीने चलेगी और तरंगिनी 13 देशों के 15 बंदरगाहों पर भारतीय झंडा फहराने का सम्मान पाएगा।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सेटेलाइट आधारित मोबाइल ऐप (खान प्रहरी) लांच

चर्चा में क्यों?

❑ केंद्रीय कोयला मंत्री पियूष गोयल ने कोयला चोरी रोकने के लिए सेटेलाइट आधारित मोबाइल ऐप (खान प्रहरी) लांच किया है।

मुख्य तथ्य

➢ इससे देश के 787 कोल ब्लॉकों पर नजर रखी जायेगी. इसकी लगातार मॉनिटरिंग कोयला कंपनियां और जिला प्रशासन करेंगे।

➢ इससे कोयला क्षेत्र में पारर्शिता और नैतिकता का नया आयाम जुड़ेगा. वर्तमान में सीसीएल द्वारा 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष सेल स्थापित किया गया है।

कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस):

➢ कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) का उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों पर रिपोर्ट करना, निगरानी करने और उचित कार्रवाई करने का लक्ष्य है।

➢ सीएमएसएमएस एक वेब आधारित जीआईएस एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अनधिकृत खनन के लिए साइटों का स्थान पता लगाया जा सकता है।

➢ कोल इंडिया की सहायक कंपनी कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और भास्करचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन और जिओ ने यह ऐप तैयार किया है।

➢ यह कोल माइंस सर्विलास एंड मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत काम करेगा. राज्य में कई जगहों पर अवैध माइनिंग हो रहा है।

➢ कोलफील्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन कर बड़े वाहनों से ढुलाई की जाती है। इस अत्याधुनिक एप के लांच हो जाने के बाद इस पर अंकुश लग जायेगा।

➢ इसके अलावा आसमान से नजर रखने के लिए वेब जीआइसी (ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम) पर आधारित प्रणाली है। इससे अवैध खनन क्षेत्र का आसानी से पता लगाया जा सकेगा।

➢ इसके तहत सेटेलाइट से डेटा लिया जायेगा, जिसका हर तीन महीने में विश्लेषण किया जायेगा. इससे अवैध खनन क्षेत्र की आसानी से पहचान की जा सकेगी।

गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड:

➢ खान प्रहरी ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से कोई भी अपने स्मार्ट फोन में डाउनलोड कर सकता है. अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर उसका फोटो और वीडियो बनाकर ऐप पर अपलोड कर सकता है।

➢ अपलोड होते ही उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के नोडल पदाधिकारी के पास पहुंच जाएगी और वे कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र के थाने को भेज देंगे. उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इसरो ने अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 05 जुलाई 2018 को अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली की श्रृंखला में योग्य होने के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया।

मुख्य तथ्य

- इस बचाव प्रणाली का उद्देश्य अन्तरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखना है, किसी आपदा की स्थिति में उन्हें उचित राहत एवं बचाव सुविधा उपलब्ध कराना ही इस प्रणाली का उद्देश्य है।
- यह बचाव प्रणाली परीक्षण के निष्फल होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को तीव्रता से परीक्षण यान से सुरक्षित दूरी पर ले जाने की एक प्रणाली है।
- प्रथम परीक्षण (पैड निष्फल परीक्षण) में लॉन्च पैड पर किसी भी अत्यावश्यकता के अनुसार क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचाने का प्रदर्शन किया।

परीक्षण के मुख्य बिंदु

- पांच घंटों की सुचारू उल्टी गिनती के बाद श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में सुबह सात बजे पर 12.6 टन की क्षमता वाले कृतिम क्रू मापदण्डों सहित बचाव प्रणाली का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 259 सेकंड में पूरा हुआ।
- इस दौरान क्रू बचाव प्रणाली ने अंतरिक्ष में ऊँची उड़ान भरी और बाद में बंगाल की खाड़ी में वृत्ताकार में घूमते हुए अपने पैराशूट्स से पृथ्वी में प्रवेश किया। यह श्रीहरिकोटा से 2.9 किमी. की दूरी पर है।
- यह क्रू मापांक सुरक्षित सात विशेष रूप से बनाई गई तीव्र गति से काम करने वाली ठोस मोटर की ऊर्जा के अन्तर्गत लगभग 2. 7 किमी की ऊंचाई तक पहुँचा।
- इस यान परीक्षण के दौरान लगभग विभिन्न लक्ष्यों वाले 300 संवेदक को रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान बचाव प्रोटोकॉल के तहत मापदण्डों के बचाव के लिए तीन बचाव नौकाओं का इस्तेमाल किया गया।

परीक्षण का महत्व

- मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने की दशा में उन्हें सुरक्षित भेजना और वापस धरती पर लाना इसरो की पहली प्राथमिकता है, और ऐसी दशा में लाइफ सपोर्ट सिस्टम देना आवश्यक होगा।
- यह मॉडयूल भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन में अहम भूमिका निभाएगा। इस परीक्षण में यह देखने की कोशिश की गई कि अंतरिक्ष यान की उड़ान के दौरान अप्रत्याशित घटना या दुर्घटना के वक्त क्रू को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 04 जुलाई 2018 को डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है।

उद्देश्य

- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक को कानून बनाए जाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फोरेन्सिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को विस्तारित करना है।
- आपराधों के समाधान एवं गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए आधारित प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता दुनियाभर में स्वीकृत है।

मुख्य तथ्य:

- डीएनए प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन एवं विनियमन के प्रावधान के जरिए इस विधेयक में इस प्रौद्योगिकी का देश में विस्तारित उपयोग सुनिश्चित किया गया है।
- इस बात का भी भरोसा दिलाया गया है कि डीएनए परीक्षण परिणाम भरोसेमंद हो और नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के लिहाज से डाटा का दुरुपयोग न हो सके।
- विधेयक के प्रावधान एक तरफ गुमशुदा व्यक्तियों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले अज्ञात शवों की परस्पर मिलान करने में सक्षम बनाएंगे।
- दूसरी तरफ बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।

पृष्ठभूमि:

- फोरेन्सिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधों के समाधान में स्पष्ट महत्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराध का समाधान किया जाता है।
- 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक है।
- इनमें से केवल बहुत छोटे हिस्से का ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण किया जाता है।
- यह उम्मीद है कि अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि सजा दिलाने की दर भी बढ़ेगी, जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आंकड़े) है।

स्रोत: पीआईबी

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2018

चर्चा में क्यों?

- विश्व भर में 29 जुलाई 2018 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया. यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अवैध शिकार और वनों के नष्ट होने के कारण विभिन्न देशों में बाघों की संख्या में काफी कमी आई है।
- केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने बाघ संरक्षण के लिए सामाजिक आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता को दोहराया है। इससे पहले डॉ. हर्षवर्धन ने भारतीय चिड़ियाघरों के वन्य जीवों के स्वास्थ्य तथा पोषण प्रबंधन पर एक मैनुअल जारी किया।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस:

- अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाने का फैसला वर्ष 2010 में सेंट पिट्सबर्ग बाघ समिट में लिया गया था क्योंकि तब जंगली बाघ विलुप्त होने के कगार पर थे। इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक वे बाघों की आबादी दुगुनी कर देंगे।

उद्देश्य:

- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जंगली बाघों के निवास के संरक्षण एवं विस्तार को बढ़ावा देने के साथ बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इनकी तेजी से घटती संख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे।
- वर्तमान में बाघों की संख्या अपने न्यूनतम स्तर पर है. पिछले 100 वर्षों में बाघों की आबादी का लगभग 97 फीसदी खत्म हो चुकी है।
- 'वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड' और 'ग्लोबल टाइगर फोरम' के 2016 के आंकड़ों के मुताबिक, पूरी दुनिया में लगभग 6000 बाघ ही बचे हैं, जिनमें से 3891 बाघ भारत में हैं। वर्ष 1915 में बाघों की संख्या एक लाख थी।
- बाघों की कुछ प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। भारत उन देशों में शामिल है जिसमे बाघों की जनसख्या सबसे अधिक है। भारत, नेपाल, रूस एवं भूटान में पिछले कुछ समय से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है।

बाघों की आबादी में कमी की वजह:

- मनुष्यों द्वारा शहरों और कृषि का विस्तार जिसकी वजह से बाघों का 93 फीसदी प्राकृतिक आवास खत्म हो चुका है. बाघों की अवैध शिकार भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बाघ अब आईयूसीएन के विलुप्तप्राय श्रेणी में आ चुके हैं।
- इनका अवैध शिकार उनके चमड़े, हड्डियों एवं शरीर के अन्य भागों के लिए किया जाता है. इनका इस्तेमाल परंपरागत दवाइयों को बनाने में किया जाता है. बाघों की हत्या कई बार शान में भी की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ी वजह है जिससे जंगली बाघों की आबादी कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है जिससे जंगलों के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया।

राष्ट्रीय पशु:

- बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है. बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक है. बाघ भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतीक है और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है. पूरी दुनिया में बाघों की कई तरह की प्रजातियां मिलती हैं।
- इनमें 6 प्रजातियां मुख्य हैं। इनमें साइबेरियन बाघ, बंगाल बाघ, इंडोचाइनीज बाघ, मलायन बाघ, सुमात्रा बाघ और साउथ चाइना बाघ शामिल हैं।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

वर्ष 2100 तक बढ़ते समुद्री जल-स्तर पर प्रति वर्ष 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च होंगे

चर्चा में क्यों?

- समुद्री जल का बढ़ता हुआ स्तर वर्ष 2100 तक प्रतिवर्ष 14 ट्रिलियन डॉलर तक का हो सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
- यूके नेशनल ओशियनोग्राफिक सेंटर (एनओसी) द्वारा जारी इस शोध पत्र के अनुसार समुद्री जल स्तर के बढ़ने से इस समस्या से बचाव के लिए वार्षिक 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च किये जायेंगे. यह शोधपत्र 'एनवायरनमेंट रिसर्च लेटर्स नामक पत्रिका में 3 जुलाई को प्रकाशित हुआ।
- इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. स्वेतलाना जेव्रेजेवा ने कहा, "600 मिलियन से अधिक लोग 10 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं. पिघलती चट्टानों और बर्फीली चट्टानों पर मौजूद ग्रीष्म कालीन मौसम के कारण समुद्री जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों में बढ़ता समुद्री जल स्तर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।"

अध्ययन से संबंधित मुख्य तथ्य

- शोधकर्ताओं के अनुसार चीन जैसे उच्चतम-मध्यम आय वाले देशों में बाढ़ की लागत में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जाएगी।
- शोधकर्ताओं ने बताया है कि उच्चतम आय वाले देशों को कम से कम भुगतना होगा क्योंकि इन देशों के पास अन्य देशों की तुलना में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
- उत्सर्जन परिदृश्य और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यों के लिए समुद्र स्तर के अनुमान भी दिये गये हैं।
- 21वीं सदी में वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम एवं 1.5 डिग्री तक रखने के लिए किसी परिदृश्य के बारे में नहीं बताया गया है।
- शोधकर्ताओं की टीम ने 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के आधार पर समुद्री जलस्तर का अध्ययन किया है। इसमें वैश्विक एवं क्षेत्रीय समुद्री जल स्तर के बारे में बताया गया है।
- इस अध्ययन के लिए विश्व बैंक की आय समूहों का उपयोग किया गया है तथा आंकड़ों के आधार पर अध्ययन कर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है।

स्रोतः द हिंदू

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीव-जंतुओं को इंसान की तरह कानूनी दर्जा दिया

चर्चा में क्यों?

- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हवा, पानी व जमीन पर रहने वाले जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें इंसानों की तरह कानूनी दर्जा देते हुए राज्य के नागरिकों को उनका स्थानीय अभिभावक घोषित किया है।

मुख्य तथ्य

- हाईकोर्ट ने कहा है कि जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में मशीन इस्तेमाल नहीं होती इसलिए उन्हें अन्य वाहनों से पहले रास्ता पाने का अधिकार होगा।
- वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण, नदियों के सिकुड़ने इत्यादि कारणों से लुप्त हो रही प्राणियों और वनस्पतियों की जैव विविधता पर भी चिंता जताई।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश:

- कोर्ट ने जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए समस्त जीवों को विधिक व्यक्ति का दर्जा देते हुए उन्हें मनुष्य की तरह अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां देते हुए लोगों को उनका संरक्षक घोषित किया है।
- कोर्ट ने अपने आदेश में नेपाल से भारत आने वाले घोड़े-खच्चरों का परीक्षण करने, सीमा पर एक पशु चिकित्सा केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं।
- कोर्ट ने अपने आदेश में जानवरों के नाक, मुंह में लगाम लगाने पर रोक, केवल मुलायम रस्सी से गर्दन से बांधने की अनुमति दी है।
- कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जानवरों को हर दो घंटे में पानी, चार घंटे में भोजन एक बार में 2 घंटे से ज्यादा पैदल चलाने पर रोक लगा दी गई है।
- कोर्ट ने कहा कि पशुओं को पैंदल केवल 12 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के दौरान ही चलाया जा सकता है।
- 37 डिग्री से ज्यादा 5 डिग्री से कम तापमान के दौरान हल जोतने पर भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है।
- कोर्ट ने पशुओं को हांकने के लिए चाबुक, डंडे सहित किसी भी प्रकार की अन्य विधि पर भी रोक लगाई है।

पृष्ठभूमि:

- दरअसल, सीमांत चम्पावत में नेपाल सीमा से सटे बनबसा कस्बे से जनहित याचिका दायर की थी. इस जनहित याचिका मार्ग पर घोड़ा, बुग्गी, तांगा, भैंसा गाड़ियों का उल्लेख करते हुए उनके चिकित्सकीय परीक्षण, टीकाकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था।
- याचिका में यह भी कहा गया था कि बुग्गियों, तांगों व भैंसा गाडियों से यातायात प्रभावित होता है और इन गाड़ियों के माध्यम से मानव तस्करी व ड्रग्स तस्करी की आशंका बनी रहती है।
- इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने सभी जीवों को विधिक अस्तित्व का दर्जा दिया है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में 14,800 लोगों की मौत: अध्ययन

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के स्तर पर हाल ही में जारी हुई शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण के कारण 14,800 लोगों की मौत हुई थी। यह रिपोर्ट एल्सवीयर प्रोसेस सेफ्टी एंड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन जर्नल में प्रकाशित हुई है।
- इस शोध के लिए भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से काम किया है. वर्ष 2016 में पीएम 2. 5 (वायु गुणवत्ता सूचकांक) से संबंधित मौत का आंकड़ा दिल्ली में 14,800 तक पहुंच गया था।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- एल्सीवियर प्रोसेस सेफ्टी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पत्रिका में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण से संबंधित अधिकतर मौतें प्रदूषण का स्तर पीएम 2.5 होने पर होती हैं।
- प्रदूषण का यही स्तर दिल्ली, सिंगापुर और शंघाई में पाया गया।
- इस अवधि में चीन के बीजिंग शहर में 18,200, शंघाई में 17,600 और दिल्ली में 14,800 लोगों की मौत हुई।
- चीनी शहरों में उच्च मृत्यु दर मापी गई है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी जनसंख्या दिल्ली से कम है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- चीन में बुजुर्ग लोगों की संख्या दिल्ली जैसे शहरों की तुलना में अधिक है. यह लोग प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
- वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक बीजिंग की जनसंख्या 2.2 करोड़ और दिल्ली की 1.8 करोड़ है।

भारतीय संदर्भ में रिपोर्ट

- रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पांच बड़े शहरों में से एक मुंबई शहर प्रदूषण से होने वाली मृत्यु के मामले में चौथे नंबर पर है।
- साथ ही पहली बार चेन्नई और बंगलूरू में भी पीएम 2.5 स्तर मापा गया है।
- वर्ष 2016 में चेन्नई और बंगलूरू में प्रदूषण के स्तर पीएम 2.5 से संबंधित बीमारियों से 5,000 लोगों का मौत हुई है।
- भारत में इन लोगों को दिल की बीमारी, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी और फेफड़ों से संबंधित कैंसर जबकि बच्चों को श्वसन से संबंधित बीमारी पाई गई।

पीएम 2.5 और पीएम 10

- पीएम का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर. प्रदूषण मापने के लिए इसकी संख्या में वृद्धि को मापा जाता है। वायु में पीएम 2.5 की मात्रा 60 और पीएम 10 की मात्रा 100 होने तक हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है।
- पिछले दिनों दिल्ली में पीएम 10 का स्तर 600 के आसपास था जिससे शहर की हवा को सांस लेने के लिए बेहद हानिकारक माना जा रहा था।
- पीएम 2.5 हवा में घुलने वाला बेहद छोटा पदार्थ है जब हवा में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ता है तो इससे धुंध जैसी स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार, पीएम 10 को रेस्पायरेबल पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं जो कि बेहद छोटे कण होते हैं, इसमें धूल, गर्द और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं।

स्रोतः द हिंदू

ग्रीन महानदी मिशन

चर्चा में क्यों?

- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24 जुलाई 2018 को 'ग्रीन महानदी मिशन' लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी ओडिशा स्थित संबलपुर जिले के दौरे के दौरान महानदी के किनारे पौधारोपण करके इस मिशन की शुरुआत की।

ग्रीन महानदी मिशनः उद्देश्य

- ग्रीन महानदी मिशन वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत महानदी के किनारे लगभग 2 करोड़ पौधारोपण किये जाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महानदी के किनारे हो रहे मृदा अपरदन को रोकना तथा भूमिगत जल भंडार में वृद्धि करना है।
- इस मिशन का उद्देश्य महानदी के अस्तित्व को बनाये रखना तथा उसकी जैव विविधता को संरक्षित करना भी है।

मिशन के मुख्य बिंदु

- वर्ष भर तक चलने वाले इस अभियान में संबलपुर , बुर्ला, हीराकुद समेत रेंगाली से लेकर देवगांव तक करोड़ों पौधे लगाए जायेंगे।
- महानदी तट में भी पौधरोपण करने समेत इन पौधों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा।
- इसी के तहत अब पौधरोपण के बाद पौधों के चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाएगा जिसमें बीजू युवा वाहिनी सहयोग करेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस मिशन का उद्देश्य महानदी की सुरक्षा व इसे पुनर्जीवित करने और हरा भरा बनाना है।
- इस अवसर पर सैकड़ों महिला-पुरुष समेत युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य की जीवनधारा की सुरक्षा व स्वच्छ बनाने के साथ-साथ शहर को हराभरा बनाने के लिए निरंतर पौधरोपण करने का संकल्प लिया।

महानदी

- महानदी का उद्गम धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है।
- महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यह प्रवाह प्रणाली के अनुरुप स्थलखंड के ढाल के स्वभाव के अनुसार बहती है इसलिए एक स्वयंभू जलधारा है।
- नदियों की जलक्षमता के हिसाब से यह गोदावरी नदी के बाद दूसरे क्रम पर है। छत्तीसगढ़ में 286 कि.मी. की यात्रा के इस पड़ाव में महानदी सीमांत सीढ़ियों से उतरते समय छोटी-छोटी नदियाँ प्रपात भी बनाती हैं।
- महानदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नही है जो महानदी में शिवरीनारायण में मिलती है।

स्रोतः द हिंदू

अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता प्रणाली 'सफर' का उद्घाटन किया गया

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हषवर्द्धन ने हाल ही में
- वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली (एसएएफएआर) का अनावरण किया।

प्रमुख विशेषताएं

- यह विशाल वास्तविक रंग वाला एलईडी डिस्प्ले 72 घंटे के अग्रिम पूर्वानुमान के साथ साथ कलर कोडिंग के साथ 24 घंटे वायु गुणवत्ता का वास्तविक तालिका प्रदर्शित करता है।
- देश में अपनी तरह के इस पहली प्रणाली का विकास स्वदेशी तरीके से भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा रिकॉर्ड समय में किया गया तथा संचालन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा किया गया।
- किसी विशेष दिन के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर स्वास्थ्य परामर्श एवं संबंधित सावधानी अधिसूचित की जाएगी जिससे नागरिकों को पहले से ही तैयार किया जा सके।

परियोजना के बारे में

- पर्यावरण मंत्रालय के मिशन मॉडल प्रोजेक्ट 'सफर' को भारत के चार शहरों - दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद में एक परिचालन सेवा के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह प्रणाली दिल्ली में परिचालित भारत की पहली वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगा और सफर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मौजूदा वायु गुणवत्ता नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगा।
- यह प्रणाली वायु प्रदूषण और मौसम की आपातकालीन अवस्थाओं के बारे में जन-जागरूकता भी फैलाएगी।
- यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा जैसे सभी मौसम मानकों की निगरानी भी करेगा।

नई प्रणाली वास्तविक समय में यूवी-इंडेक्स, पीएम1, मरक्यूरी एवं ब्लैक कार्बन पर भी नजर रखेगी. सफर प्रणाली से कृषि, उड्डयन, बुनियादी ढांचा, आपदा प्रबंधन कौशल, पर्यटन एवं अन्य कई क्षेत्रों की लागत में कमी आएगी जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वायु की गुणवत्ता और मौसम का प्रभाव पड़ता है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ

- म्यांमार 19 जुलाई 2018 को भारत द्वारा आरंभ की गई पहल अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन (आईएसए) में 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ जिसने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये हैं।
- म्यांमार ने इस संगठन में शामिल होकर सौर उर्जा के अधिक से अधिक उपयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई।
- दिल्ली डायलॉग के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान म्यांमार के विदेश मंत्री क्याव तिन ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आईएसए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति व्यक्त की।

इस बैठक में भारत और म्यांमार के मध्य निम्नलिखित विषयों पर भी चर्चा की गई:

- भारत म्यांमार में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। इनमें कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विशेष रूप से शामिल है।
- यह परियोजना मिजोरम को म्यांमार के सित्वे बंदरगाह के साथ जोड़ती है।
- इस त्रिपक्षीय योजना से भारत म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ जायेगा।
- भारत म्यांमार के राखिने राज्य में मानवीय एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

- भारत ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की थी।
- इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवम्बर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान कोप-21 से अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्राँस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी।
- फ्रांस, इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सफल होने के लिए 2022 तक 5600 करोड़ रुपये का फंड देगा जिससे सदस्य देशों में अन्य सोलर प्रोजेक्ट शुरू किये जायेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट (1000 गीगावाट) सौर ऊर्जा उत्पादन का है, जिस पर अनुमानत: 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आयेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय भारत में है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अन्य खबरें

सौरभ वर्मा ने रूस ओपन खिताब जीत कर इतिहास रचा

- भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने 29 जुलाई 2018 को रूस ओपन का खिताब अपने नाम किया। उनसे पहले महिला वर्ग में रुत्विका शिवानी ने 2016 में खिताबी जीत हासिल की थी। सौरभ ने एक घंटे तक चले इस मुकाबले में वतानाबे को 18–21, 21–12, 21–17 से मात देकर खिताब अपने नाम किया।
- विश्व नम्बर–65 सौरभ ने पुरुष एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में जापान के कोकी वतानाबे को मात दी. वहीं फाइनल तक का सफर तय करने वाली रोहन कपूर और कुहू गर्ग की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान चुनाव 2018: इमरान खान की पार्टी पीटीआई आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

- क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ अभी तक की मतगणना के बाद बहुमत के पास है. हालांकि, विपक्षी दलों ने मतगणना के दौरान भारी धांधली का आरोप लगाया है और फिर से चुनाव कराने की मांग की है।
- पाकिस्तान में आम चुनाव के आधिकारिक नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके अनुसार, पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) नेता इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने के लिए दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ेगा। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, पीटीआई ने 269 में से 119 सीटें जीती हैं। लेकिन बहुमत के लिए 137 सीटें जरूरी हैं। चुनावों में शरीफ परिवार की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 56 सीटें मिली हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसे 36 सीटें हासिल हुई हैं।

न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त

- पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उप–पंजीयक (पी) एस आर धीर द्वारा जारी जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रेड्डी ने 04 जुलाई 2018 को पदभार ग्रहण कर लिया. उन्हें 27 जून को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था।

एल. नरसिंह रेड्डी समिति

- 'वन रैंक वन पेंशन' (OROP) पर 26 अक्टूबर, 2016 को न्यायमूर्ति एल. नरसिंह रेड्डी की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी।
- केंद्र सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी विसंगति की जांच हेतु पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नरसिंह रेड्डी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया था।

केरल में देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च होगा

- केरल पर्यटन विकास विभाग (केटीडीसी) द्वारा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला ऐसा होटल बनेगा जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए होगा. केरल के पर्यटन मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने केरल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन (केटीडीएफसी) कॉम्प्लेक्स थम्पनूर ने 25 जुलाई 2018 इस कार्य का शुभारंभ किया।
- देश के सभी हिस्सों में इस प्रकार के होटलों की कमी है, जहां अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं सुरक्षित और आरामदेह तरीके से रुक सकें इसलिए केरल सरकार ने इस दिशा में एक अहम कदम उठाया है।
- सरकार के मुताबिक इस होटल का नाम 'होस्टेस' होगा और इसे पूरी तरह से महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि केरल में बनने वाले इस होटल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है और ऐसी ही कई और सुविधाएं भी पर्यटन निगम द्वारा दी जा रही हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महत्व

- यह विकास कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में पर्यटन की भूमिका को प्राथमिकता दी जाती है।
- केरल पर्यटन विकास विभाग का उद्देश्य राज्य में पर्यटकों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं विकसित करना है।

प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज का निधन

- कवि सम्मेलनों में लोकप्रियता के चलते नीरज को बम्बई के फिल्म जगत ने गीतकार के रूप में नये गीत लिखने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।
- इसके बाद फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मीली और प्रेम पुजारी जैसी अनेक चर्चित फिल्मों में कई वर्षों तक जारी रहा।
- उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री, 1994 में यश भारती, 2007 में पद्मभूषण सम्मान से पुरस्कृत किया गया।
- गोपाल दास नीरज को फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 70 के दशक में लगातार तीन बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

फ्रांस ने 20 वर्ष बाद फुटबॉल विश्व कप जीता

- फ्रांस की फुटबॉल ने टीम पहली बार फीफा फाइनल खेल रहे क्रोएशिया की टीम को 4-2 से पराजित कर फीफा विश्वकप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।
- मैच के फर्स्ट हाफ तक स्कोर 2-1 था जिसमें फ्रांस की ओर से दो गोल शामिल थे। जबकि दूसरे हाफ में फ्रांस ने 2 और गोल करके मैच जीता हालांकि क्रोएशिया ने दूसरा गोल करके फ्रांस को कड़ी टक्कर दी।
- फ्रांस ने 1998 में अपनी मेजबानी में पहली बार विश्व कप जीता था और उस कामयाबी के 20 साल बाद उसने एक बार फिर विश्व चौंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया।
- फ्रांस का यह दूसरा खिताब है और इसके साथ ही वह दो बार विश्व खिताब जीतने वाले अर्जेंटीना और उरुग्वे की श्रेणी में आ गया है।

रूस ने कतर को अगले विश्व कप की जिम्मेदारी सौंपी

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आखिरी दिन अगले विश्व कप की जिम्मेदारी कतर को सौंप दी। कतर द्वारा 2022 में अगले विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में एक समारोह में आधिकारिक विश्व कप फुटबाल फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो को सौंपी जिन्होंने इसे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-थानी को सौंपा।

फ्रांस के कोच ने बनाया रिकॉर्ड

- फ्रांस की वर्ल्ड कप जीत के साथ ही कोच से साथ भी एक खास तरह का विश्व रिकॉर्ड जुड़ गया है। केवल फ्रांस की टीम ने ही दूसरी बार फीफा विश्व कप खिताब नहीं जीता है, बल्कि कोच दिदिएर डेसचेम्पस ने भी यह ट्रॉफी दूसरी बार उठाई है। इससे पहले बतौर खिलाड़ी उन्होंने यह खिताब जीता और अब कोच के रूप में जीता। इस प्रकार दिदिएर ये मुकाम हासिल करने वाले विश्व दुनिया के तीसरे शख्स बन गए हैं। उनका नाम मारियो जागालो व फ्रांज बैकेनबॉर की सूची में जुड़ गया हैं।

बैंक ऑफ चाइना को भारत में शाखा खोलने हेतु आरबीआई से लाइसेंस मिला

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना को भारत में अपनी पहली शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैंक ऑफ चाइना को इसके लिए जरूरी इजाजत के दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं।
- पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच वुहान और चिंगदाओ में हुई मुलाकातों के दौरान आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों पर सहमति बनी थी जिनमें बैंकिंग क्षेत्रों में प्रगति भी शामिल है। बैंक ऑफ चाइना ने जुलाई 2016 में मंजूरी के लिए आवेदन किया था लेकिन डोकलाम विवाद के चलते मामला रुक गया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए चार सदस्यों को मनोनीत किया

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 जुलाई 2018 को राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रघुनाथ महापात्र और राम सकल सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
- संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने इन चार लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इन चार नामांकनों से पहले, राज्यसभा में आठ नामांकित सदस्य थे।

अरुणा साईराम संगीत कलानिधि पुरस्कार हेतु चयनित

- गायिका अरुणा साईराम को इस वर्ष संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अकादमी की कार्यकारी समिति ने 15 जुलाई 2018 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से साईराम को सम्मानित करने का फैसला लिया। बैठक में विभिन्न पुरस्कारों के विजेताओं के नाम की घोषणा भी की गई। अरुणा कनार्टक गायन शैली की मशहूर गायिका हैं।
- उन्हें प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। साईराम अकादमी के 92वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी जिसका आयोजन 15 दिसंबर 2018 से एक जनवरी 2019 के बीच किया जाएगा।

हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

- उन्होंने आईएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 ऐथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर फाइनल में गोल्ड स्वर्ण पदक जीता।
- वह ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वालीं पहली भारतीय एथलीट हैं।
- हिमा दास से पहले भारत की कोई महिला या पुरुष खिलाड़ी जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर विश्व चौम्पियनशिप में स्वर्ण या कोई मेडल नहीं जीत सका था।
- चौथे नंबर की लेन में दौड़ रही हिमा दास अंतिम राउंड में रोमानिया की आंद्रिया मिकलोस से पिछड़ रही थी लेकिन फिनिश लाइन के नजदीक आकार उन्होंने तेजी दिखाते हुए पहला स्थान हासिल किया।
- उन्होंने सेमीफाइनल में भी 52.10 सेकंड का समय निकालकर टॉप किया था. पहले राउंड में उन्होंने 52.25 सेकंड का रेकॉर्ड समय निकाला था।

✪ दीपा करमाकर जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं

- दीपा ने जिमनास्टिक की वॉल्ट स्पर्धा में 14.150 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया।
- लगभग दो साल के बाद वापसी करने वाली स्टार जिमनास्ट दीपा करमाकर ने यह उपलब्धि हासिल की।
- त्रिपुरा की 24 वर्षीय जिमनास्ट दीपा करमाकर ने 14.150 अंकों के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया जबकि क्वॉलिफिकेशन राउंड में वो 13.400 अंकों के साथ टॉप पर थी।
- यह वर्ल्ड चैलेंज कप में दीपा का पहला मेडल है।
- दीपा ने बैलेंस टीम इवेंट के फाइनल में भी जगह बनाई थी लेकिन क्वॉलिफिकेशन राउंड में वो 11.850 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर रहीं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया

- प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसे मनाये जाने का उद्देश्य लोगों के बीच जनसँख्या से जुड़े तमाम मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। इसमें लिंग भेद, लिंग समानता, परिवार नियोजन इत्यादि मुद्दे तो शामिल हैं ही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य इसके माध्यम से महिलाओं के गर्भधारण सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लोगो को जागरूक करना है।
- वर्ष 2018 का विश्व जनसँख्या दिवस इस मामले में और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इसका विषय 'परिवार नियोजन: एक मानवाधिकार' पर केंद्रित है।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

- सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत हुए न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को 06 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इससे पहले जस्टिस स्वतंत्र कुमार एनजीटी अध्यक्ष थे जबकि फिलहाल जस्टिस जावेद रहीम कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
- कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को पांच साल के लिए एनजीटी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।
- 20 दिसंबर 2017 को न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की सेवानिवृति के बाद एनजीटी अध्यक्ष का पद छह महीने से अधिक समय से खाली था।
- न्यायमूर्ति कुमार की सेवानिवृति के बाद न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय साल्वी को एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे 13 फरवरी को सेवानिवृत हुए।
- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनजीटी की प्रधान पीठ काम कर रही है जिसमें न्यायमूर्ति रहीम , न्यायमूर्ति आर एस राठौड़ और न्यायमूर्ति एस एस गरब्याल शामिल हैं।

राहुल द्रविड़ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पांचवें भारतीय बने

- राहुल द्रविड़ को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है. टीम 'इंडिया ए' के प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ यह सम्मान हासिल करने वाले भारत के पांचवें क्रिकेटर हैं।
- इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर क्लेयर टेलर को भी हॉल ऑफ में जगह दी गई। आईसीसी ने आयरलैंड के डबलिन में आयोजित समारोह में राहुल द्रविड़ के नाम की घोषणा की।

इन भारतीय को पहले मिल चुका है यह सम्मान:

- राहुल द्रविड़ से पहले यह सम्मान वर्ष 2015 में अनिल कुंबले को मिला था. बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर को वर्ष 2009 में शुरुआती 'आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया था।

'हॉल ऑफ फेम' से शामिल होने वाले खिलाड़ियों संख्या 87:

- 'हॉल ऑफ फेम' से शामिल होने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 87 हो गई. इसमें 80 पुरुष और 7 महिला क्रिकेटर हैं। देश की बात करें तो यह सम्मान सबसे अधिक इंग्लैंड (28) के खिलाड़ियों को मिला है। इस सम्मानित लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया (25), वेस्ट इंडीज(18), पाकिस्तान (5), भारत (5), न्यू जीलैंड (3), दक्षिण अफ्रीका (2) और श्री लंका का एक खिलाड़ी शामिल है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आईसीसी हॉल ऑफ फेम:

- आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम समूह या सूची है जिसका उद्देश्य क्रिकेट के इतिहास से दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है।
- यह समूह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से वर्ष 2009 में शुरू किया गया है।
- शुरुआत में इसमें 55 खिलाड़ी शामिल थे। आईसीसी अवॉर्ड्स समारोह के दौरान प्रत्येक वर्ष आगे के सदस्यों को जोड़ा जाता है। हॉल ऑफ फेम में छः महिलाएं खिलाड़ी भी शामिल हैं।
- हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी ने पिछले पांच सालों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009